



दूसरी SECOND

अनुदानों की पूरक मांगें SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

केन्द्रीय सरकार के व्यय के लिए
FOR EXPENDITURE OF THE CENTRAL GOVERNMENT

(रेलवे को छोड़कर)
(Excluding Railways)

2007-2008

(संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) के अनुसार संसद में प्रस्तुत। राष्ट्रपति की सिफारिश, जो मांगें पेश करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1)(क) और (2) के साथ पठित अनुच्छेद 113 के खण्ड (3) के अन्तर्गत आवश्यक है, प्राप्त कर ली गई हैं)
(Laid before Parliament in pursuance of sub-clause (a) of clause (1) of Article 115 of the Constitution. The recommendation of the President, required under clause (3) of Article 113 read with clauses (1)(a) and (2) of Article 115 of the Constitution for making the Demands has been obtained)

नवम्बर November, 2007

परिचायक टिप्पणी

विषय : अनुदानों की पूरक मांगों का दूसरा बैच, 2007-08

वर्ष 2007-2008 के लिए अनुदानों की पूरक मांगों के दूसरे बैच में 42 अनुदान और 1 विनियोग शामिल हैं। 33290.87 करोड़ रुपए के सकल अतिरिक्त व्यय को प्राधिकृत करने के लिए संसद का अनुमोदन मांगा गया है। इसमें से, निवल नकद व्यय के प्रस्तावों की कुल राशि 11,869.60 करोड़ रुपए है और मंत्रालयों/विभागों की बचतों द्वारा अथवा बढ़ी हुई प्राप्तियों/वसूलियों द्वारा पूरे किए गए सकल अतिरिक्त व्यय की राशि 21,420.82 करोड़ रुपए है। इसके अलावा, 45 लाख रुपए के सांकेतिक प्रावधान की मांग की गई है जिसमें व्यय की प्रत्येक मद के लिए एक लाख रुपए है जिससे कि नई सेवा अथवा सेवा के नए लिखत वाले मामलों में बचतों का पुनर्विनियोजन किया जा सके।

2. अतिरिक्त व्यय जिसमें निवल नकद व्यय शामिल है, की मदें निम्नलिखित हैं :

Subject : Second Batch of Supplementary Demands for Grants, 2007-2008.

The second batch of Supplementary Demands for Grants for 2007-2008 includes 42 Grants and 1 Appropriation. Approval of the Parliament is sought to authorise gross additional expenditure of Rs. 33290.87 crore. Of this, the proposals involving net cash outgo aggregate to Rs. 11,869.60 crore and gross additional expenditure, matched by savings of the Ministries/Departments or by enhanced receipts/recoveries aggregates to Rs. 21,420.82 crore. Besides, token provision of Rs. 45 lakh is being sought, one lakh for each item of expenditure, for enabling reappropriation of savings in cases involving New Service or New Instrument of Service.

2. The items of additional expenditure involving net cash outgo are as follows:

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
नकद व्यय	Cash Outgo			
कृषि मंत्रालय	MINISTRY OF AGRICULTURE			
1 कृषि तथा सहकारिता विभाग	1 Department of Agriculture and Cooperation			
(क) निम्नलिखित के लिए - (i) कृषि बीमा कम्पनी के अन्तर्गत प्रायोगिक आधार पर मौसम आधारित बीमा योजना का कार्यान्वयन (69.19 करोड़ रुपए), (ii) 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन' के अन्तर्गत अतिरिक्त निधियों को उपलब्ध कराना (198.75 करोड़ रुपए), (iii) कृषि के लिए राज्य आयोजनाओं के सम्बन्ध में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता योजना के अन्तर्गत निधियां उपलब्ध कराना (4.00 करोड़ रुपए)।	(a) For (i) implementation of Weather Based Insurance Scheme on pilot basis, under Agriculture Insurance Company (Rs. 69.19 crore), (ii) providing additional funds under 'National Food Security Mission' (Rs. 198.75 crore), (iii) providing funds under Additional Central Assistance Scheme to State Plans for Agriculture (Rs. 4.00 crore).	271.94	-	271.94
(ख) रबी 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान सरसों के मूल्य समर्थन प्रचालनों के तहत सरसों के बीजों की अधिप्राप्ति/निपटान पर भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड द्वारा उठाए गए नुकसान की प्रतिपूर्ति।	(b) For reimbursement of losses incurred by National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Limited on procurement/disposal of mustard seeds under Price Support Operations for Mustard during Rabi 2005-06 and 2006-07.	-	200.00	200.00
(ग) पूर्वोत्तर क्षेत्रों में कृषि के लिए राज्य आयोजनाओं के सम्बन्ध में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत निधियों को उपलब्ध कराने के लिए।	(c) For providing funds under Additional Central Assistance Scheme to State Plans for Agriculture in North Eastern Areas.	30.00	-	30.00
(घ) कृषि के सम्बन्ध में राज्य आयोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत सहायता अनुदान के रूप में निधियों को उपलब्ध कराने के लिए।	(d) For providing funds as Grants-in-aid under Additional Central Assistance Scheme to State Plans for Agriculture.	565.00	-	565.00
(ङ) कृषि के सम्बन्ध में संघ राज्य क्षेत्र आयोजनाओं के सम्बन्ध में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता योजना के अन्तर्गत सहायता अनुदान के रूप में निधियां उपलब्ध कराने के लिए।	(e) For providing funds as Grants-in-aid under Additional Central Assistance Scheme to Union Territory Plans for Agriculture.	1.00	-	1.00
कोयला मंत्रालय	MINISTRY OF COAL			
10 कोयला मंत्रालय	10 Ministry of Coal			
निम्नलिखित योजनाओं के अन्तर्गत व्यय की पूर्ति करने हेतु (क) कोयला खानों में संरक्षण और	For meeting expenditure under the schemes (a) Conservation and Safety in Coal Mines			

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
सुरक्षा (164.99 करोड़ रुपए) और (ख) कोलफील्ड क्षेत्रों में परिवहन ढांचागत विकास (44.99 करोड़ रुपए)।	(Rs. 164.99 crore) and (b) Development of Transport Infrastructure in Coalfields Areas (Rs. 44.99 crore).	127.19	-	127.19
वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY			
11 वाणिज्य विभाग	11 Department of Commerce			
(क) निम्नलिखित के लिए - (i) सम निर्यातों पर शुल्क वापसी के दावों का निपटान और विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय बिक्री कर तथा सीमा उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति (600.00 करोड़ रुपए) और (ii) निर्यातकों को रुपए निर्यात ऋण के सम्बन्ध में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को 2 प्रतिशत ब्याज आर्थिक सहायता (300.00 करोड़ रुपए)।	(a) For (i) settlement of claims of Duty Drawback on Deemed Exports and reimbursement of Central Sales Tax and Terminal Excise Duty for Special Economic Zones (Rs. 600.00 crore) and (ii) providing 2% Interest subvention to Scheduled Commercial Banks in respect of rupee export credit to the exporters (Rs. 300.00 crore).	-	900.00	900.00
(ख) फुटवेयर डिजाइन विकास संस्थान, रायबरेली (उ.प्र.) के उन्नयन के लिए व्यय (31.58 करोड़) की पूर्ति हेतु।	(b) For meeting expenditure (Rs.31.58 crore) for Upgradation of Footwear Design Development Institute, Rae Bareilly (UP).	29.78	-	29.78
उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION			
18 खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण विभाग	18 Department of Food and Public Distribution			
वर्ष 2005-06 से 2007-08 के लिए राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक के जरिए सहकारी तथा शहरी सहकारी बैंक को ब्याज आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए।	For providing interest subvention to the Cooperative and Urban Cooperative Bank through National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) for the years from 2005-06 to 2007-08.	-	158.86	158.86
संस्कृति मंत्रालय	MINISTRY OF CULTURE			
19 संस्कृति मंत्रालय	19 Ministry of Culture			
निम्नलिखित के लिए - (क) कुका शहीद स्मारक, मलेरकोटला पंजाब के सम्बन्ध में सहायता अनुदान (1.00 करोड़ रुपए) और (ख) पहले स्वतंत्रता संग्राम, 1857 की 150वीं वर्षगांठ के समारोह के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यक्रमों/गतिविधियों के लिए होने वाले अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु: (i) कर्नाटक सरकार द्वारा टीपू सुल्तान से सम्बद्ध समारोह का आयोजन, (ii) गीत तथा नाटक प्रभाग के कार्यक्रम, (iii) सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय द्वारा 'तात्या' फीचर फिल्म का निर्माण, (iv) संगीत नाटक अकादमी के कार्यक्रम, (iv) जलियांवाला समारोह, (v) जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में शहीद भगत सिंह पीठ की स्थापना और (vi) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में बहादुरशाह जफर पीठ की स्थापना (28.94 करोड़ रुपए)।	For (a) grants-in-aid to Kuka Martyrs Memorial, Mallerkotla, Punjab (Rs. 1.00 crore) and (b) meeting additional expenditure for the following programmes/ events relating to Commemoration of 150th Anniversary of first War of Independence, 1857: (i) Organising function on Tipu Sultan by Government of Karnataka, (ii) Programmes of Song and Drama Division, (iii) Production of a feature film 'Tatya' by Ministry of Information and Broadcasting, (iv) Programmes of Sangeet Natak Academi, (iv) Function at Jallianwala Bagh, (v) Setting up a Chair on Shaheed Bhagat Singh at Jawaharlal Nehru University and (vi) a Chair on Bahadurshah Zafar at Indira Gandhi National Open University (Rs. 28.94 crore).	-	29.94	29.94
विदेश मंत्रालय	MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS			
31 विदेश मंत्रालय	31 Ministry of External Affairs			
विशेष राजनयिक व्यय करने हेतु।	For Special Diplomatic Expenditure.	-	100.00	100.00

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
वित्त मंत्रालय	MINISTRY OF FINANCE			
34 ब्याज संदाय	34 Interest Payments			
'बाजार स्थिरीकरण योजना' के अन्तर्गत ब्याज देयताओं के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	For meeting additional expenditure on account of interest liabilities under 'Market Stabilisation Scheme'.	-	4,500.00	4500.00
35 राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण	35 Transfers to State and Union Territory Governments			
(क) निम्नलिखित के लिए - (i) सामान्य केन्द्रीय सहायता (1500.00 करोड़ रुपए), (ii) अन्य परियोजनाओं हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (500.00 करोड़ रुपए) और (iii) विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के सम्बन्ध में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत ऋण संघटक हेतु (1000.00 करोड़ रुपए)।	(a) For (i) Normal Central Assistance (Rs. 1500.00 crore), (ii) Additional Central Assistance for Other Projects (Rs. 500.00 crore) and (iii) Grant Component under Additional Central Assistance for Externally Aided Projects (Rs. 1000.00 crore).	3,000.00	-	3000.00
(ख) विदेशी सहायता प्राप्त योजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत ऋण संघटक हेतु।	(b) For Loan Component under Additional Central Assistance for Externally Aided Projects.	1,500.00	-	1500.00
गृह मंत्रालय	MINISTRY OF HOME AFFAIRS			
50 गृह मंत्रालय	50 Ministry of Home Affairs			
विवाचन फैसलों का भुगतान करने के लिए होने वाले व्यय की पूर्ति हेतु।	For meeting the expenditure for payment of Arbitration Awards.	-	0.99	0.99
51 मंत्रिमंडल	51 Cabinet			
अतिरिक्त भ्रमण सम्बन्धी व्यय की पूर्ति हेतु (90.00 करोड़ रुपए)।	For meeting additional tour expenses (Rs. 90.00 crore).	-	74.00	74.00
खान मंत्रालय	MINISTRY OF MINES			
63 खान मंत्रालय	63 Ministry of Mines			
(क) भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण के सम्बन्ध में स्थापना, किराया दरें, और करों तथा अन्य व्ययों के अन्तर्गत निधियों की बढ़ोतरी हेतु।	(a) For augmentation of funds under establishment, rent, rates and taxes and other expenses in respect of Geological Survey of India.	22.00	-	22.00
(ख) भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड के संसाधन अन्तराल को पाटना।	(b) For bridging the gap in resources of Bharat Gold Mines Limited.	-	0.40	0.40
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT			
87 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	87 Ministry of Social Justice and Empowerment			
मैट्रिक पश्च छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत प्रावधानों में बढ़ोतरी हेतु।	For augmentation of provision under Post Matric Scholarship Scheme.	200.00	-	200.00
शहरी विकास मंत्रालय	MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT			
99 शहरी विकास विभाग	99 Department of Urban Development			
(क) राष्ट्रपति भवन में जीर्णोद्धार तथा मरम्मत कार्य और ऑडिटोरियम कार्य के सम्बन्ध में लम्बित बिलों का निपटान।	(a) For renovation and repair works in the Rashtrapati Bhavan and clearance of pending bills in respect of auditorium work.	-	16.50	16.50
(ख) दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड में इक्विटी पूंजी उपलब्ध कराना।	(b) For providing Equity Capital in Delhi Metro Rail Corporation Limited.	100.00	-	100.00
(ग) दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए भूमि के अधिग्रहण हेतु गौण कर्ज के रूप में ब्याज मुक्त ऋण के लिए।	(c) For interest free loan as Subordinate Debt for acquisition of land to Delhi Metro Rail Corporation Limited.	42.00	-	42.00
कुल नकद व्यय	Total Cash Outgo	5,888.91	5,980.69	11,869.60

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
3. पूरक अनुदानों की मांगों के इस बैच में 21,420.82 करोड़ रुपए के तकनीकी पूरक अनुदानों/विनियोगों के प्रस्ताव शामिल हैं जिनकी पूर्ति मंत्रालयों/विभागों की अतिरिक्त प्राप्तियों/वसूलियों अथवा तद्विरुद्ध बचतों द्वारा की जाती है। ये मदें निम्नलिखित हैं:	3. This Batch of Supplementary Demands for Grants includes proposals for technical supplementary grants/appropriations for Rs. 21,420.82 crore which are matched by additional receipts/recoveries or corresponding savings of the Ministries/Departments. The items are as follows:			
तकनीकी पूरक अनुदानों की मांगें	Technical Supplementary Demands for grants			
कृषि मंत्रालय	MINISTRY OF AGRICULTURE			
2 कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग	2 Department of Agricultural Research and Education			
चुनिंदा 32 राज्य कृषि विश्वविद्यालयों तथा आईसीएआर संस्थानों में "शिक्षण तथा प्रदर्शन, प्रशिक्षकों तथा किसानों को प्रशिक्षण के जरिए आजीविका हेतु कृषि में जल की उत्पादकता बढ़ाने" के सम्बन्ध में योजना के कार्यान्वयन हेतु आधारभूत निधि के सृजन हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराना।	To provide interest free loan to the Indian Council of Agricultural Research (ICAR) for creating a Corpus Fund for implementing the scheme relating to the "Scaling up Water Productivity in Agriculture for Livelihoods through Teaching cum Demonstration, Training of Trainers and Farmers" in 32 selected State Agriculture Universities and ICAR Institutes.	96.00	-	96.00
नागर विमानन मंत्रालय	MINISTRY OF CIVIL AVIATION			
9. नागर विमानन मंत्रालय	9 Ministry of Civil Aviation			
एअर इंडियन तथा इंडियन एअरलाइंस के सम्बन्ध में गारंटी शुल्क को बट्टे खाते डालने हेतु।	For writing off guarantee fee in respect of Air India and Indian Airlines.	-	548.01	548.01
वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY			
12 औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग	12 Department of Industrial Policy and Promotion			
दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक कोरिडोर परियोजना के कार्यान्वयन हेतु 'दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक कोरिडोर विकास निगम' में इक्विटी के रूप में निवेश करने हेतु।	For making an investment in the form of equity in 'Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation' to implement the Delhi-Mumbai Industrial Corridor Project.	5.00	-	5.00
संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY			
13 डाक विभाग	13 Department of Posts			
बेंगलुरु कर्नाटक में स्टाफ क्वार्टर्स के निर्माण में विवाचन फैसले के कारण होने वाले भुगतान की पूर्ति के लिए।	For meeting payment arising out of an Arbitration Award in construction of staff quarters at Bangalore, Karnataka.	0.17	-	0.17
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION			
18 खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग	18 Department of Food and Public Distribution			
चीनी के निर्यात लदान हेतु आन्तरिक परिवहन तथा मालभाड़ा प्रभारों की पुनः प्रतिपूर्ति हेतु।	For re-imbursement of internal transport and freight charges for export shipment of sugar.	-	120.00	120.00
संस्कृति मंत्रालय	MINISTRY OF CULTURE			
19 संस्कृति मंत्रालय	19 Ministry of Culture			
गांधी शांति प्रतिष्ठान की आधारभूत निधि को सहायता अनुदान।	For grants-in-aid to Corpus Fund of Gandhi Peace Foundation.	5.00	-	5.00

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
वित्त मंत्रालय	MINISTRY OF FINANCE			
33 वित्तीय संस्थाओं को भुगतान	33 Payments to Financial Institutions			
(क) ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के लिए आम आदमी बीमा योजना के कार्यान्वयन हेतु केन्द्र सरकार को अपने हिस्से के प्रीमियम के भुगतान के संबंध में देयता की पूर्ति हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा फंड मैनेजर के रूप में संचालित किए जाने वाले आधारभूत निधि के सृजन हेतु (1000.00 करोड़ रुपए) और (ख) आम आदमी बीमा योजना के लाभार्थियों के बच्चों की छात्रवृत्तियों पर व्यय की पूर्ति हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा फंड मैनेजर के रूप में संचालित किए जाने वाले आधारभूत निधि के सृजन हेतु (500 करोड़ रुपए)।	(a) For creation of a corpus fund to be operated by Life Insurance Corporation of India as Fund Manager, for meeting the liability of Central Government towards its share of premium payment for implementation of Aam Aadmi Bima Yojana for rural landless households (Rs. 1000.00 crore) and (b) For creation of a fund to be operated by Life Insurance Corporation of India as Fund Manager, for meeting the expenditure on scholarships to the children of beneficiaries of Aam Aadmi Bima Yojana (Rs. 500 crore).	-	1,500.00	1500.00
35 राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को अन्तरण	35 Transfers to State and Union Territory Governments			
12वें वित्त आयोग के पंचाट सहित ऋण माफी योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों के ऋण को बट्टे खाते डालने के लिए।	For write off of loans to the State Governments under Debt Waiver Scheme under the 12th Finance Commission Award.	-	4,763.28	4763.28
स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE			
46 स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय	46 Department of Health and Family Welfare			
(क) "राष्ट्रीय वेक्टरवाहक रोग नियंत्रण कार्यक्रम" योजना के तहत औषधियों तथा उपस्करों की अधिप्राप्ति के सम्बन्ध में होने वाले व्यय हेतु।	(a) For expenditure relating to procurement of drugs and equipments under the scheme "National Vector Borne Disease Control Programme".	280.49	-	280.49
(ख) निम्नलिखित व्यय की पूर्ति हेतु (i) परिवार कल्याण प्रशिक्षण तथा अनुसंधान केन्द्र, मुम्बई के संबंध में मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत (2.00 करोड़ रुपए), (ii) ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र, नजफगढ़ के लिए मशीनरी तथा उपस्कर (0.15 करोड़ रुपए) और मोटर वाहन (0.15 करोड़ रुपए) की अधिप्राप्ति हेतु,	(b) For meeting the expenditure (i) under major works for Family Welfare Training and Research Centre, Mumbai (Rs. 2.00 crore), (ii) Rural Health Training Centre, Najafgarh for procurement of Machinery and Equipments (Rs. 0.15 crore) and Motor Vehicles (Rs. 0.15 crore).	2.30	-	2.30
सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय	MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING			
58 सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय	58 Ministry of Information and Broadcasting			
प्रेस सूचना ब्यूरो के "मीडिया आउटरीच कार्यक्रम" पर होने वाले व्यय की पूर्ति हेतु।	For meeting expenditure on 'Media Outreach Programme' of Press Information Bureau.	4.92	-	4.92
श्रम तथा रोजगार मंत्रालय	MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT			
59 श्रम तथा रोजगार मंत्रालय	59 Ministry of Labour and Employment			
24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 290 आईटीआई के लिए सम्बद्ध आईटीआई की संस्था प्रबन्ध समिति के प्रत्येक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) (725.00 करोड़ रुपए) और पूर्वोत्तर राज्यों में 10 आईटीआई (25.00 करोड़ रुपए) को 2.50 करोड़ रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु।	For providing interest free loan of upto Rs. 2.50 crore per Industrial Training Institute(ITI) to Institute Management Committee of the concerned ITI for covering 290 ITIs in 24 States/Union Territories (Rs. 725.00 crore) and 10 ITIs in North Eastern States (Rs. 25.00 crore).	750.00	-	750.00

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
खान मंत्रालय	MINISTRY OF MINES			
63 खान मंत्रालय	63 Ministry of Mines			
(क) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड की अनुमोदित पुनर्संरचना योजना के एक भाग के रूप में संचित हानियों के समायोजन के लिए आवश्यक लेखा समायोजन करने के लिए अर्थात् 7.5 प्रतिशत अंसचयी प्रतिदेय अधिमान्य शेयर को कम करके लिखना (180.73 करोड़ रुपए) और (ख) इक्विटी के अंकित मूल्य को कम करने के जरिए (382.21 करोड़ रुपए) पूंजी की पुनर्संरचना पर इक्विटी को कम करके लिखना।	(a) For carrying out necessary accounting adjustments viz., write down of 7.5% non-cumulative redeemable preference share (Rs. 180.73 crore) and (b) write down of equity on restructuring of capital through reduction of face value of equity (Rs. 382.21 crore) against adjustment of accumulated losses as part of approved restructuring plan of Hindustan Copper Limited.	-	562.94	562.94
पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय	MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS			
70 पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय	70 Ministry of Petroleum and Natural Gas			
संवेदी पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री के कारण अनुमानित कम वसूलियों के लिए तेल विपणन कम्पनियों के लिए विशेष प्रतिभूतियों को जारी करने के माध्यम से प्रतिपूर्ति की व्यवस्था करना।	For providing compensation through issue of Special Securities to the Oil Marketing Companies towards estimated under-recoveries on account of sale of sensitive petroleum products.	-	11,256.92	11256.92
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग तथा उप-राष्ट्रपति का सचिवालय	THE PRESIDENT, PARLIAMENT, UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION AND THE SECRETARIAT OF THE VICE-PRESIDENT			
74 लोक सभा	74 Lok Sabha			
संस्थापना सम्बन्धी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	For meeting additional establishment related expenditure.	-	0.05	0.05
सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्रालय	MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES			
86 सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्रालय (पूर्वनाम - लघु उद्योग मंत्रालय)	86 Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (Previously Ministry of Small Scale Industries)			
राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के सम्बन्ध में गारंटी शुल्क की माफी के सम्बन्ध में लेखा समायोजन करने हेतु	For carrying out accounting adjustments relating to waiver of guarantee fee in respect of National Small Industries Corporation Limited.	-	4.04	4.04
इस्पात	MINISTRY OF STEEL			
90 इस्पात मंत्रालय	90 Ministry of Steel			
मेकॉन लिमिटेड के सम्बन्ध में दांडिक गारंटी की माफी के सम्बन्ध में लेखा समायोजन करने के लिए।	For carrying out accounting adjustments relating to waiver of penal guarantee fee in respect of MECON Limited.	-	4.27	4.27
कपड़ा मंत्रालय	MINISTRY OF TEXTILES			
91 कपड़ा मंत्रालय	91 Ministry of Textiles			
भारतीय राष्ट्रीय कपड़ा निगम लिमिटेड की पुनर्संरचना योजना के भाग के रूप में दिनांक 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार ब्याज माफी के सम्बन्ध में लेखा समायोजन करने हेतु।	For carrying out accounting adjustments relating to waiver of interest as on 31.3.2001 as a part of restructuring plan of National Textiles Corporation of India Limited.	-	1,454.01	1454.01

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
जनजातीय कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS			
93 जनजातीय कार्य मंत्रालय	93 Ministry of Tribal Affairs			
आदिम जनजातीय समूहों के विकास की योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	For grants-in-aid to State Governments under the Scheme for Development of Primitive Tribal Groups.	18.42	-	18.42
शहरी विकास मंत्रालय	MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT			
100 लोक निर्माण कार्य	100 Public Works			
(क) भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के कार्यालय भवनों का निर्माण करने के लिए (30.00 करोड़ रुपए) और (ख) कार्यालय भवनों/संकाय छात्रावास/कार्यों परिसर का निर्माण तथा देश के विभिन्न स्थानों में केन्द्रीय उत्पाद तथा सीमा शुल्क बोर्ड/केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के लिए भूमि की खरीद हेतु (40.00 करोड़ रुपए)।	(a) For construction of office buildings of Comptroller and Auditor General of India at various places in the country (Rs. 30.00 crore) and (b) For construction of office buildings/faculty hostel/cargo complex and for purchase of land for Central Board of Excise and Customs/ Central Board of Direct Taxes at various places of the country (Rs. 40.00 crore).	-	45.00	45.00
जोड़ तकनीकी	Total Technical	1,162.30	20,258.52	21,420.82
4 नीचे सूचीबद्ध की गयी मदों के सम्बन्ध में प्रत्येक के लिए 1 लाख रुपए का पूरक अनुदान भी प्रस्तावित है, मद के समक्ष दर्शाए गए व्यय की पूर्ति सम्बद्ध अनुदान के राजस्व अथवा पूंजी भाग, जैसा भी मामला हो, के अन्तर्गत बचत के पुनर्विनियोग से की जाएगी।	4. Supplementary grants of Rs.1 lakh each are also proposed to be taken in respect of items listed below, the expenditure indicated against which will be met by reappropriation of savings within the Revenue or Capital Section, as the case may be, of the relevant grant.			
सांकेतिक पूरक अनुदान	Token Supplementary Demands for grants			
कृषि मंत्रालय	MINISTRY OF AGRICULTURE			
1 कृषि तथा सहकारिता विभाग	1 Department of Agriculture and Cooperation			
पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू तथा कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के सम्बन्ध में बागवानी प्रौद्योगिकी मिशन (5.00 करोड़ रुपए); नारियल विकास बोर्ड (12.00 करोड़ रुपए); और राष्ट्रीय बांस मिशन (55.00 करोड़ रुपए),	For Technology Mission on Horticulture for North Eastern States, Sikkim, Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Uttarakhand (Rs. 5.00 crore); Coconut Development Board (Rs. 12.00 crore); and National Bamboo Mission (Rs. 55.00 crore).	72.00	-	72.00
2 कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग	2 Department of Agricultural Research and Education			
निम्नलिखित को सहायता अनुदान हेतु (क) तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर को कृषि अनुसंधान तथा मौजूदा ढांचागत सुविधाओं आदि को मजबूत करना (25.00 करोड़ रुपए), (ख) गोविन्द वल्लभ पंत कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर को जैव प्रौद्योगिकी तथा नैनोटेक्नोलॉजी के माध्यम से कृषि, पशु विज्ञान में महत्वपूर्ण अनुसंधान कार्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए (25.00 करोड़ रुपए) और (ग) 32 राज्य कृषि विश्वविद्यालयों तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) संस्थानों को किसानों तथा प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण और आईसीएआर द्वारा मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन (3.23 करोड़ रुपए)।	For Grants-in-aid to (a) Tamil Nadu Agricultural University, Coimbatore to strengthen research in agriculture and existing infrastructure facilities, etc (Rs. 25.00 crore), (b) Govind Ballabh Pant University of Agriculture and Technology, Pantnagar for initiating research programmes in cutting edge technologies in agriculture, animal sciences through biotechnology and nanotechnology (Rs. 25.00 crore) and (c) 32 State Agriculture Universities and Indian Council of Agricultural Research (ICAR) Institutes for training of farmers and trainers and for monitoring and evaluation by ICAR (Rs. 3.23 crore).	53.23	-	53.23

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
3. पशुपालन, डेयरी कार्य तथा मात्स्यिकी विभाग	3 Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries			
(क) व्यावसायिक दक्षता विकास के अन्तर्गत सतत पशु चिकित्सा शिक्षा कार्य के लिए भारतीय पशु चिकित्सा परिषद को सहायता अनुदान हेतु (0.90 करोड़ रुपए), (ii) खुरपका तथा मुंहपका बीमारी नियंत्रण कार्यक्रम के लिए टीकों की खरीद हेतु (4.97 करोड़ रुपए), (iii) राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन परियोजना स्कीम के अन्तर्गत पशु चिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ बनाने हेतु अनुसंधान संस्थान की आवश्यकता को पूरा करने हेतु (0.40 करोड़ रुपए)।	(a) (i) For Grants-in-aid to Veterinary Council of India to undertake Continuing Veterinary Education under Professional Efficiency Development Scheme (Rs. 0.90 crore), (ii) for purchase of vaccine under Foot and Mouth Disease Control Programme (Rs. 4.97 crore), (iii) To meet the requirement of Research Institute for Strengthening of Veterinary services under the Scheme of National Project on Rinderpest Eradication (Rs. 0.40 crore).	6.27	-	6.27
(ख) बर्ड फ्लू फैलने की वजह से कुक्कुट उद्योग को वित्तीय राहत प्रदान करने हेतु कुक्कुट पालकों को दिनांक 31.3.2006 की स्थिति अनुसार उनकी बकाया मूल राशि पर एक वर्ष की अवधि के लिए एकबारगी 4 प्रतिशत ब्याज आर्थिक सहायता पर हुए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(b) For meeting additional expenditure on one time interest subvention of 4% for a period of one year on principal amount outstanding against poultry farmers as on 31.3.2006 to provide financial relief to the poultry industry following the outbreak of Avian Flu.	-	0.44	0.44
(ग) (i) सघन डेरी विकास कार्यान्वयन के क्रियान्वयन के लिए दुग्ध यूनियनों/परिसंघों को सहायता अनुदान के लिए (7.76 करोड़ रुपए) (ii) सहकारिताओं को सहायता योजना के अन्तर्गत बचनबद्ध देयताओं को पूरा करने के लिए (2.00 करोड़ रुपए) और (iii) डेयरी/मुर्गीपालन उद्यम पूंजी कोष योजना के लिए (17.00 करोड़ रुपए)।	(c) (i) For Grants-in-aid to milk unions/federations for implementation of Intensive Dairy Development programme (Rs. 7.76 crore), (ii) To meet committed liability under the scheme of Assistance to Cooperatives (Rs. 2.00 crore) and (iii) For Dairy/Poultry Venture Capital Fund Scheme (Rs. 17.00 crore).	26.76	-	26.76
परमाणु ऊर्जा विभाग	DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY			
5. परमाणु ऊर्जा	5 Atomic Energy			
(क) अंतर्राष्ट्रीय लीनियर कोलिडर (आईएलसी) कार्यक्रम और सम्बद्ध उन्नत ऐक्सेलेटर अनुसंधान और विकास में भागीदारी परियोजना के लिए टाटा मौलिक अनुसंधान संस्थान को अतिरिक्त सहायता अनुदान के लिए।	(a) For additional Grants-in-aid to Tata Institute of Fundamental Research for the Project Participation in International Linear Collider (ILC) program and related Advanced Accelerator Research and Development.	0.25	-	0.25
(ख) भारी जल संयंत्र, मानुगुरु में आवासीय कालोनी के निर्माण के लिए।	(b) For Construction of Housing Colony for Heavy Water Plant, Manuguru.	7.30	-	7.30
(ग) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्रों के अंतर्गत परियोजनाओं (i) जुल्स होरोविट्ज रिएक्टर में भारतीय भागीदारी (9.00 करोड़ रुपए) और (ii) रसायन अभियांत्रिकी शिक्षा और अनुसंधान हेतु डीआई-युआईसीटी केन्द्र (10.45 करोड़ रुपए) के व्यय की पूर्ति के लिए।	(c) To meet expenditure for the projects under Bhabha Atomic Research Centre towards (i) Indian participation in Jules Horowitz Reactor (Rs. 9.00 crore) and (ii) DAE-UICT Centre for Chemical Engineering Education and Research (Rs. 10.45 crore).	19.45	-	19.45
वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY			
11. वाणिज्य विभाग	11 Department of Commerce			
काली मिर्च निर्यात हेतु मसाला बोर्ड को सब्सिडी राशि का भुगतान करने के लिए	For payment of subsidy to Spice Board on export of pepper.	0.60	-	0.60

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY			
14. दूरसंचार विभाग	14 Department of Telecommunications			
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के लिए कार्यालय भवन के निर्माण हेतु भूमि की खरीद ।	For purchase of land for construction of office building for Telecom Regulatory Authority of India.	10.00	-	10.00
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION			
17. उपभोक्ता मामले विभाग	17 Department of Consumer Affairs			
(क) निम्नलिखित द्वारा दालें आयात करने पर हानियों की प्रतिपूर्ति के लिए (i) एमएमटीसी लि. (1.00 करोड़ रुपए) (ii) भारतीय राज्य व्यापार निगम (1.00 करोड़ रुपए), (iii) पीईसी लिमिटेड (1.00 करोड़ रुपए), (iv) भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहाकरिता विपणन परिसंघ लिमिटेड (1.00 करोड़ रुपए) और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ताओं का परिसंघ (1.00 करोड़ रुपए)	(a) For reimbursements of losses on the import of pulses by (i) MMTC Ltd (Rs. 1.00 crore), (ii) The State Trading Corporation of India Limited (Rs. 1.00 crore), (iii) PEC Limited (Rs. 1.00 crore), (iv) National Agricultural Co-operatives Marketing Federation of India Limited (Rs. 1.00 crore) and (v) National Co-operative Consumers' Federation of India Limited (Rs. 1.00 crore).	-	5.00	5.00
(ख) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर माप-तोल अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए मुख्य रूप से मशीनरी और उपस्कर की खरीद के लिए।	(b) For procurement of machinery and equipment centrally for strengthening of Weights and Measures Infrastructure at States/Union Territories level.	13.91	-	13.91
संस्कृति मंत्रालय	MINISTRY OF CULTURE			
19. संस्कृति मंत्रालय	19 Ministry of Culture			
(क) (i) राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा स्वर्ण जयन्ती (2.50 करोड़ रुपए) और एशियाटिक सोसायटी, कोलकाता द्वारा 225वीं वर्षगांठ समारोह के लिए अतिरिक्त व्यय (1.25 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु। (ii) उदयपुर में सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केन्द्र के अपने क्षेत्रीय केन्द्र भवन का निर्माण करने के लिए अतिरिक्त धन मुहैया करने हेतु (1.50 करोड़ रुपए), (iii) बच्चों के लिए खेड़ा सहित 'बहुउद्देशीय सांस्कृतिक परिसरों की स्थापना' योजना के अन्तर्गत चालू परियोजनाओं के लिए दूसरी किस्त मुहैया कराने हेतु अतिरिक्त व्यय की पूर्ति करने के लिए (7.25 करोड़ रुपए) और (iv) नेहरू विज्ञान केन्द्र, मुम्बई में लार्ज फार्मेट फिल्म प्राजेक्शन सिस्टम के लिए राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद को सहायता अनुदान; कोज़िकोड और लखनऊ में क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्रों में निर्माण कार्य (2.19 करोड़ रुपए)।	(a) (i) For meeting additional expenditure for celebration of Golden Jubilee by National School of Drama (Rs. 2.50 crore) and Biocentennial Silver Jubilee by Asiatic Society, Kolkata (Rs. 1.25 crore), (ii) For additional fund to Centre for Cultural Resources and Training for the construction of its Regional Centre Building at Udaipur (Rs. 1.50 crore), (iii) For meeting additional expenditure for providing 2nd instalment for ongoing projects under the scheme 'Setting up of Multipurpose Cultural Complexes including those for children' (Rs. 7.25 crore) and (iv) Grants-in-aid to National Council of Science Museums for Large Format Film Projection System, Nehru Science Centre, Mumbai; construction work of Regional Science Centres, Kozhikode and Lucknow (Rs. 2.19 crore).	14.69	-	14.69
(ख) (i) लाल बहादुर शास्त्री जन्मशती समारोह के एक भाग के रूप में इलाहाबाद जिले के मांडा गांव में पोलिटेक्निक के निर्माण पर होने वाले अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए (3.00 करोड़ रुपए) और इंदौर जिले के सोल्सिंडा गांव में महिला	(b) For (i) meeting additional expenditure on construction of a Polytechnic at Manda Village, Allahabad District (Rs. 3.00 crore) and a Women Polytechnic Institute at Solsinda Village, Indore District (Rs. 5.00 crore), as a part of Lal			

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भित्त Non Plan	जोड़ Total
पोलिटेक्निक संस्थान (5.00 करोड़ रुपए) के लिए और (ii) नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय को इसके कर्मचारियों के वेतन, सेवानिवृत्ति लाभ तथा चिकित्सा बिलों की प्रतिपूर्ति हेतु सहायता अनुदान (0.80 करोड़ रुपए)।	Bahadur Shashtri Centenary Celebrations, and (ii) Grants-in-aid to Nehru Memorial Museum and Library for providing salary, retirement benefits and reimbursements of medical bills to its employees (Rs. 0.80 crore).	-	8.80	8.80
विदेश मंत्रालय	MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS			
31. विदेश मंत्रालय	31 Ministry of External Affairs			
विश्व मामलों के भारतीय परिषद को सहायता अनुदान हेतु	For Grants-in-aid to Indian Council of World Affairs.	-	1.00	1.00
वित्त मंत्रालय	MINISTRY OF FINANCE			
32. आर्थिक कार्य विभाग	32 Department of Economic Affairs			
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से प्राप्त अनुदान सहायता से कन्द्री कोऑपरेशन फ्रेमवर्क -II के लिए अम्ब्रेला सहायता परियोजना के अंतर्गत व्यय की पूर्ति के लिए।	For meeting the expenditure under Umbrella Support Project for Country Co-operation Framework-II executed with the grant assistance received from United Nations Development Programme.	-	0.97	0.97
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE			
46. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	46 Department of Health and Family Welfare			
(क) (i) मैसर्स हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड से डीडीटी प्राप्त करने के लिए "राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम" योजना के अंतर्गत अतिरिक्त अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए (10.00 करोड़ रुपए) और हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड की दिल्ली इकाई के भूतपूर्व कर्मचारियों को सेवान्त लाभ प्रदान करने के लिए (4.07 करोड़ रुपए) और (ii) समेकित रोग निगरानी नियंत्रण कार्यक्रम योजना के अंतर्गत व्यय के लिए (23.00 करोड़ रुपए)	(a) (i) For additional requirements under the scheme "National Vector Borne Disease Control Programme" towards procurement of DDT from M/s Hindustan Insecticides Limited (Rs. 10.00 crore) and for terminal benefits to the erstwhile employees of Delhi Unit of Hindustan Insecticides Limited (Rs. 4.07 crore) and (ii) For expenditure under the scheme "Integrated Disease Surveillance Control Programme" (Rs. 23.00 crore).	37.07	-	37.07
(ख) इन योजनाओं के अंतर्गत प्रावधान हेतु (ii) बंध्यकरण/रिकेनिलाइजेशन में प्रशिक्षण (0.23 करोड़ रुपए) (ii) पुरुष भागीदारी (2.82 करोड़ रुपए) और (iii) प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य में अनुसंधान और अध्ययन कार्यकलाप (7.20 करोड़ रुपए)	(b) For provision under the schemes (i) Training in Sterilisation/Recanilisation (Rs. 0.23 crore), (ii) Male Participation (Rs. 2.82 crore) and (iii) Research and Study activities in Reproductive and Child Health (Rs. 7.20 crore).	10.25	-	10.25
गृह मंत्रालय	MINISTRY OF HOME AFFAIRS			
52. पुलिस	52 Police			
पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के विज्ञापन और प्रचार पर व्यय की पूर्ति के लिए।	For meeting the expenditure on Advertising and Publicity of Bureau of Police Research and Development.	-	1.00	1.00
मानव संसाधन विकास मंत्रालय	MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT			
56. विद्यालयी शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	56 Department of School Education and Literacy			
(क) (i) 'सर्व शिक्षा अभियान' योजना के अंतर्गत केन्द्र और राज्यों के बीच निधिकरण की पद्धति को 50:50 से 65:35 करने के लिए	(a) For meeting (i) additional expenditure (Rs. 2070.00 crore) due to revision of the funding pattern between Centre and			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
संशोधित किए जाने के कारण अतिरिक्त व्यय (2070.00 करोड़ रुपए), और (ii) राजस्थान में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम-ii परियोजना के विस्तार हेतु अतिरिक्त व्यय (20.00 करोड़ रुपए) की पूर्ति के लिए।	States from 50:50 to 65:35 under the scheme "Sarva Shiksha Abhiyan" and (ii) the additional expenditure (Rs. 20.00 crore) for extension of District Primary Education Programme-II Project in Rajasthan.	2,090.00	-	2090.00
(ख) "सर्व शिक्षा अभियान" (पूर्वोत्तर क्षेत्र) योजना के अंतर्गत केन्द्र और राज्यों के बीच निधिकरण की पद्धति को 50:50 से 90:10 करने के लिए संशोधित किए जाने के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए।	(b) For meeting additional expenditure due to revision of the funding pattern between Centre and States from 50:50 to 90:10 under the scheme "Sarva Shiksha Abhiyan" (North Eastern Region).	230.00	-	230.00
57. उच्चतर शिक्षा विभाग निम्नलिखित के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (क) "राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान" योजना के लिए मानदेय और छात्रवृत्ति में संशोधन करने के कारण (2.50 करोड़ रुपए) और (ख) "राष्ट्रीय सिंधी भाषा संवर्धन परिषद" का विस्तार और योजना के अन्तर्गत किराए भी बढ़ी लागत (0.70 करोड़ रुपए)।	57 Department of Higher Education For meeting additional expenditure (a) due to revision of honorarium and scholarship for the Scheme "Rashtriya Ved Vidya Pratisthan (Rs. 2.50 crore) and (b) on expansion of "National Council for Promotion of Sindhi Language" and increased cost of rental under the scheme (Rs. 0.70 crore).	3.20	-	3.20
सूचना और प्रसारण मंत्रालय	MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING			
58. सूचना और प्रसारण मंत्रालय प्रसार भारती को पूर्वोत्तर में हार्डवेयर की प्राप्ति और ट्रांसमीटरों के निर्माण के लिए ऋण प्रदान करने हेतु।	58 Ministry of Information and Broadcasting For providing loan to Prasar Bharti for procurement of hardwares and erection of transmitters in North East.	47.50	-	47.50
श्रम और रोजगार मंत्रालय	MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT			
59 श्रम और रोजगार मंत्रालय "सरकारी निजी भागीदारी के माध्यम से 1396 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन" योजना के अन्तर्गत व्यय के लिए।	59 Ministry of Labour and Employment For expenditure under the scheme "Upgradation of 1396 Industrial Training Institutes through Public Private Partnership":			
(क) (i) केन्द्रीय स्तर पर प्रबंधन, क्षमता निर्माण और प्रबंध तथा मूल्यांकन के लिए (5.00 करोड़ रुपए) तथा (ii) संघ राज्य क्षेत्रों (विधान मंडल रहित) को प्रबंधन और निगरानी के लिए सहायता अनुदान (0.01 करोड़ रुपए)।	(a) (i) For management, capacity building and management and evaluation at central level (Rs. 5.00 crore) and (ii) Grants-in-aid to Union Territories (without legislature) for management and monitoring (Rs. 0.01 crore).	5.01	-	5.01
(ख) प्रबंध और निगरानी के लिए पूर्वोत्तर राज्यों को सहायता अनुदान।	(b) Grants-in-aid to North Eastern States for management and monitoring.	0.10	-	0.10
(ग) प्रबंध और निगरानी के लिए विभिन्न राज्यों को सहायता अनुदान।	(c) Grants-in-aid to various States for management and monitoring.	4.90	-	4.90
(घ) प्रबंध निगरानी हेतु संघ राज्य क्षेत्रों (विधान मंडल सहित) को सहायता अनुदान।	(d) Grants-in-aid to Union Territories (with legislature) for management and monitoring.	0.01	-	0.01
विधि और न्याय मंत्रालय	MINISTRY OF LAW AND JUSTICE			
61 विधि और न्याय निम्न के लिए अनुदान सहायता: (क) राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के लिए विधि शिक्षा संबंधी नए कार्यक्रमों हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	61 Law and Justice For Grants-in-aid to: (a) National Judicial Academy for meeting additional expenditure on new programmes relating to legal education.	-	5.75	5.75

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भित्ति Non Plan	जोड़ Total
(ख) राज्य सरकारों को भारत सरकार के पारिवारिक न्यायालयों की अनावर्ती लागत संबंधी उत्तरदायित्व को पूरा करने हेतु।	(b) State Governments in the discharge of Government of India's liability towards non-recurring costs of Family Courts.	-	1.00	1.00
खान मंत्रालय	MINISTRY OF MINES			
63 खान मंत्रालय	63 Ministry of Mines			
हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड की अनुमोदित पुनर्संरचना योजना के भाग के रूप में ऋण को इक्विटी में बदलने संबंधी लेखा समायोजन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु।	For carrying out necessary accounting adjustments relating to conversion of loan into equity, as part of the approved restructuring plan of Hindustan Copper Limited.	50.00	-	50.00
अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय	MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS			
64 अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय	64 Ministry of Minority Affairs			
पहचान किए गए अल्पसंख्यक बहुल जिलों में कल्याण योजनाओं की निगरानी और बेसलाइन सर्वे संबंधी सूचनाओं के प्रसार हेतु मल्टी मीडिया प्रचार पर अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।	For meeting additional expenditure on multi-media campaign for dissemination of information regarding welfare schemes for monitoring and base-line survey in the identified minority concentration districts.	14.98	-	14.98
प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF OVERSEAS INDIAN AFFAIRS			
66 प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय	66 Ministry of Overseas Indian Affairs			
जागरुकता अभियान के व्यय को पूरा करने हेतु।	For meeting expenditure on an Awareness Campaign.	-	14.06	14.06
पंचायती राज मंत्रालय	MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ			
67 पंचायती राज मंत्रालय	67 Ministry of Panchayati Raj			
राष्ट्रीय ई-प्रशासन योजना के अन्तर्गत ई-पंचायतों पर मिशन मोड प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन हेतु।	For implementation of Mission Mode Project on e-Panchayats under National e-Governance Plan.	10.00	-	10.00
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS			
70 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	70 Ministry of Petroleum and Natural Gas			
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड निधि में सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु।	For providing grants-in-aid to Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Fund.	-	2.00	2.00
ग्रामीण विकास मंत्रालय	MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT			
78 ग्रामीण विकास मंत्रालय	78 Department of Rural Development			
राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी द्वारा नाबार्ड की विशेष विंडो के अन्तर्गत राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से लिए गए ऋण की एवज में ब्याज के भुगतान हेतु।	For payment of interest against the loan raised by National Rural Roads Development Agency from the National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) under Special Window of NABARD.	85.75	-	85.75
80 पेयजल आपूर्ति विभाग	80 Department of Drinking Water Supply			
गुजरात राज्य के मरुभूमि विकास कार्यक्रम क्षेत्रों में क्रियान्वित किए जाने वाले ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (14.82 करोड़ रुपए) और मल व्ययन तथा स्वच्छता कार्यक्रम (70.00 करोड़ रुपए) की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।	For meeting the additional requirement of the Rural Water Supply Programme (Rs. 14.82 crore) to be implemented in the Desert Development Programme Areas of the State of Gujarat and Sewerage and Sanitation Programme (Rs. 70.00 crore).	84.82	-	84.82

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES			
86 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (पूर्वनाम लघु उद्योग मंत्रालय)	86 Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (Previously Ministry of Small Scale Industries)			
संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को लघु उद्योगों के आंकड़े एकत्रित करने के लिए सहायता अनुदान प्रदान करना।	For providing grants-in-aid to Union Territory Governments for collection of statistics of small scale industries.	0.70	-	0.70
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT			
87 सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	87 Ministry of Social Justice and Empowerment			
निम्नलिखित को सहायता अनुदान - (क) दृष्टिहीन विकलांगों के राष्ट्रीय संस्थान को (3.80 करोड़ रुपए), (ख) आर्थो पेडियकली विकलांगों के राष्ट्रीय संस्थान (1.00 करोड़ रुपए), (ग) पुनर्वास, प्रशिक्षण और अनुसंधान राष्ट्रीय संस्थान को (2.00 करोड़ रुपए)। (घ) शारीरिक रूप से विकलांग संस्थान (1.48 करोड़ रुपए), (ङ) भारतीय पुनर्वास परिषद (1.70 करोड़ रुपए) और (च) दीन दयाल निःशक्त पुनर्वास योजना (7.00 करोड़ रुपए) के लिए अनुदान सहायता हेतु।	For grants-in-aid to (a) National Institute for Visually Handicapped (Rs. 3.80 crore), (b) National Institute for Orthopaedically Handicapped (Rs. 1.00 crore), (c) National Institute for Rehabilitation, Training and Research (Rs. 2.00 crore), (d) Institute for the Physically Handicapped (Rs. 1.48 crore), (e) Rehabilitation Council of India (Rs. 1.70 crore) and (f) Deen Dayal Disabled Rehabilitation Scheme (Rs. 7.00 crore).	16.98	-	16.98
कपड़ा मंत्रालय	MINISTRY OF TEXTILES			
91 कपड़ा मंत्रालय	91 Ministry of Textiles			
(क) समेकित कपड़ा पार्कों की स्थापना के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श की परामर्शी सेवाओं पर व्यय की पूर्ति हेतु।	(a) For meeting the expenditure on consultancy services of the Project Management Consultant for establishment of Integrated Textiles Parks.	15.00	-	15.00
(ख) (i) कपड़ा श्रमिक पुनर्वास योजना के अन्तर्गत बंद हो चुकी इकाइयों के कपड़ा श्रमिकों के दावों (24.84 करोड़ रुपए) को निपटाने हेतु अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए और (ii) सूख में बाढ़ ग्रस्त कपड़ा उद्योगों को राहत और पैकेज पर व्यय की पूर्ति के लिए (3.31 करोड़ रुपए)।	(b) For (i) meeting the additional expenditure on settling the claims of textile workers of the closed units (Rs. 24.84 crore) under Textile Labour Rehabilitation Scheme and (ii) meeting the expenditure on relief and package to the flood affected textiles industries in Surat (Rs. 3.31 crore).	-	28.15	28.15
(ग) अनुमोदित पुनर्संरचना योजना के भाग के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कपड़ा निगम के संदर्भ में 31.3.2001 को इक्विटी के रूप में बकाया ऋण का रूपांतरण करने से संबंधित आवश्यक लेखा समायोजनों को पूरा करने हेतु।	(c) For carrying out necessary accounting adjustments relating to conversion of outstanding loan as on 31.3.2001 into equity in respect of National Textiles Corporation of India Limited as part of approved restructuring plan.	-	2,542.79	2542.79
जनजातीय कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS			
93 जनजातीय कार्य मंत्रालय	93 Ministry of Tribal Affairs			
(क) जनजातियों के लाभार्थ विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं के अनुदान सहायता (0.04 करोड़ रुपए) और (ख) गणतंत्र दिवस समारोह, वन्य अधिकार नियमों इत्यादि के प्रचार पर व्यय की पूर्ति (0.26 करोड़ रुपए) हेतु।	For (a) grants-in-aid for various research projects for the benefit of Scheduled Tribes (Rs. 0.04 crore) and (b) meeting expenditure on publicity for Republic Day celebrations, Forest Right rules, etc (Rs. 0.26 crore).	0.30	-	0.30

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
शहरी विकास मंत्रालय	MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT			
99 शहरी विकास मंत्रालय	99 Department of Urban Development			
(क) सुनेहरी बाग, नई दिल्ली में पुनर्विकास कार्य हेतु।	(a) For re-development work at Sunehari Bagh, New Delhi.	40.00	-	40.00
(ख) आयकर विभाग के लिए जम्मू में जमीन खरीदने हेतु।	(b) For purchase of land in Jammu for Income Tax Department.	-	62.30	62.30
जल संसाधन मंत्रालय	MINISTRY OF WATER RESOURCES			
102 जल संसाधन मंत्रालय	102 Ministry of Water Resources			
“सीमा क्षेत्रों से सम्बद्ध नदी प्रबंधन कार्यकलाप और निर्माण कार्य” योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों को सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु।	For providing grants-in-aid to State Governments under the Scheme “River Management Activities and Works related to Border Areas”.	10.00	-	10.00
जोड़ सांकेतिक	Total Token	0.32	0.13	0.45
कुल जोड़	GRAND TOTAL	7051.53	26239.34	33290.87
निवल नकद व्यय	Net Cash Outgo	5888.91	5980.69	11869.60
तकनीकी पूरक	Technical Supplementary	1162.30	20258.52	21420.82
सांकेतिक पूरक	Token Supplementary	0.32	0.13	0.45

विषय सूची CONTENTS

मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		(करोड़ रुपए Rupees in crore)			
				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page
कृषि मंत्रालय		MINISTRY OF AGRICULTURE					
1. कृषि और सहकारिता विभाग	स्वीकृत	1. Department of Agriculture and Cooperation	Voted	1067.95	...	1067.95	1-2
2. कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	स्वीकृत	2. Department of Agricultural Research and Education	Voted	0.01	96.00	96.01	3-4
3. पशुपालन और डेरी कार्य तथा मात्स्यिकी	स्वीकृत	3. Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries	Voted	0.03	...	0.03	5
परमाणु ऊर्जा विभाग		DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY					
5. परमाणु ऊर्जा	स्वीकृत	5. Atomic Energy	Voted	0.01	0.02	0.03	6
नागर विमानन मंत्रालय		MINISTRY OF CIVIL AVIATION					
9. नागर विमानन मंत्रालय	स्वीकृत	9. Ministry of Civil Aviation	Voted	548.01	...	548.01	7
कोयला मंत्रालय		MINISTRY OF COAL					
10. कोयला मंत्रालय	स्वीकृत	10. Ministry of Coal	Voted	127.19	...	127.19	8
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय		MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY					
11. वाणिज्य विभाग	स्वीकृत	11. Department of Commerce	Voted	900.01	29.78	929.79	9-10
12. औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग	स्वीकृत	12. Department of Industrial Policy and Promotion	Voted	...	5.00	5.00	11
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय		MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY					
13. दूरसंचार विभाग	भारित	13. Department of Posts	Charged	...	0.17	0.17	12
14. दूरसंचार विभाग	स्वीकृत	14. Department of Telecommunications	Voted	...	0.01	0.01	13
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय		MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION					
17. उपभोक्ता मामले विभाग	स्वीकृत	17. Department of Consumer Affairs	Voted	0.02	...	0.02	14
18. खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	स्वीकृत	18. Department of Food and Public Distribution	Voted	278.86	...	278.86	15
संस्कृति मंत्रालय		MINISTRY OF CULTURE					
19. संस्कृति मंत्रालय	स्वीकृत	19. Ministry of Culture	Voted	34.96	...	34.96	16-17
विदेश मंत्रालय		MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS					
31. विदेश मंत्रालय	स्वीकृत	31. Ministry of External Affairs	Voted	100.01	...	100.01	18
वित्त मंत्रालय		MINISTRY OF FINANCE					
32. आर्थिक कार्य विभाग	स्वीकृत	32. Department of Economic Affairs	Voted	0.01	...	0.01	19
33. वित्तीय संस्थाओं को अदायगियां	स्वीकृत	33. Payments to Financial Institutions	Voted	...	1500.00	1500.00	20

		(करोड़ रुपए Rupees in crore)					
मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page
34. विनियोग-ब्याज संदाय	भारित	34. Appropriation-Interest Payments	Charged	4500.00	...	4500.00	21
35. राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अन्तरण	भारित	35. Transfers to State and Union territory Governments	Charged	...	1500.00	1500.00	22
	स्वीकृत		Voted	7763.28	...	7763.28	
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय		MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE					
46. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	स्वीकृत	46. Department of Health and Family Welfare	Voted	280.51	2.30	282.81	23-24
गृह मंत्रालय		MINISTRY OF HOME AFFAIRS					
50. गृह मंत्रालय	भारित	50. Ministry of Home Affairs	Charged	0.99	...	0.99	25
51. मंत्रिमंडल	स्वीकृत	51. Cabinet	Voted	74.00	...	74.00	26
52. पुलिस	स्वीकृत	52. Police	Voted	0.01	...	0.01	27
मानव संसाधन विकास मंत्रालय		MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT					
56. विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग	स्वीकृत	56. Department of School Education and Literacy	Voted	0.02	...	0.02	28
57. उच्च शिक्षा विभाग	स्वीकृत	57. Department of Higher Education	Voted	0.01	...	0.01	29
सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय		MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING					
58. सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय	स्वीकृत	58. Ministry of Information and Broadcasting	Voted	4.92	0.01	4.93	30
श्रम और रोजगार मंत्रालय		MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT					
59. श्रम और रोजगार मंत्रालय	स्वीकृत	59. Ministry of Labour and Employment	Voted	0.04	750.00	750.04	31-32
विधि और न्याय मंत्रालय		MINISTRY OF LAW AND JUSTICE					
61. विधि और न्याय	स्वीकृत	61. Law and Justice	Voted	0.02	...	0.02	33
खान मंत्रालय		MINISTRY OF MINES					
63. खान मंत्रालय	स्वीकृत	63. Ministry of Mines	Voted	585.34	0.01	585.35	34
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय		MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS					
64. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	स्वीकृत	64. Ministry of Minority Affairs	Voted	0.01	...	0.01	35
प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय		MINISTRY OF OVERSEAS INDIAN AFFAIRS					
66. प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय	स्वीकृत	66. Ministry of Overseas Indian Affairs	Voted	0.01	...	0.01	36
पंचायती राज मंत्रालय		MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ					
67. पंचायती राज मंत्रालय	स्वीकृत	67. Ministry of Panchayati Raj	Voted	0.01	...	0.01	37
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय		MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS					
70. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	स्वीकृत	70. Ministry of Petroleum and Natural Gas	Voted	11256.93	...	11256.93	38

		(करोड़ रुपए Rupees in crore)					
मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उप-राष्ट्रपति का सचिवालय		THE PRESIDENT, PARLIAMENT, UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION AND THE SECRETARIAT OF THE VICE-PRESIDENT					
74. लोकसभा	भारित	74. Lok Sabha	Charged	0.05	...	0.05	39
ग्रामीण विकास मंत्रालय		MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT					
78. ग्रामीण विकास विभाग	स्वीकृत	78. Department of Rural Development	Voted	0.01	...	0.01	40
80. पेय जलापूर्ति विभाग	स्वीकृत	80. Department of Drinking Water Supply	Voted	0.01	...	0.01	41
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय		MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES					
86. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय		86. Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises	Voted	4.05	...	4.05	42
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय		MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT					
87. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	स्वीकृत	87. Ministry of Social Justice and Empowerment	Voted	200.01	...	200.01	43
इस्पात मंत्रालय		MINISTRY OF STEEL					
90. इस्पात मंत्रालय	स्वीकृत	90. Ministry of Steel	Voted	4.27	...	4.27	44
कपड़ा मंत्रालय		MINISTRY OF TEXTILES					
91. कपड़ा मंत्रालय	स्वीकृत	91. Ministry of Textiles	Voted	1454.03	0.01	1454.04	45
जनजाति कार्य मंत्रालय		MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS					
93. जनजाति कार्य मंत्रालय	भारित	93. Ministry of Tribal Affairs	Charged	18.42	...	18.42	46
	स्वीकृत		Voted	0.01	...	0.01	
शहरी विकास मंत्रालय		MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT					
99. शहरी विकास विभाग	भारित	99. Department of Urban Development	Charged	...	16.50	16.50	47
	स्वीकृत		Voted	...	142.02	142.02	
100. लोक निर्माण कार्य	स्वीकृत	100. Public Works	Voted	...	45.00	45.00	48
जल संसाधन मंत्रालय		MINISTRY OF WATER RESOURCES					
102. जल संसाधन मंत्रालय	स्वीकृत	102. Ministry of Water Resources	Voted	0.01	...	0.01	49
कुल जोड़		GRAND TOTAL		29204.04	4086.83	33290.87	
	भारित		Charged	4519.46	1516.67	6036.13	
	स्वीकृत		Voted	24684.58	2570.16	27254.74	
अनुबंध		ANNEXURE					50

मांग संख्या DEMAND NO. 1

कृषि और सहकारिता विभाग

DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 1 और वर्ष 2007-08 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 1-2 देखिए)।
(See page 1 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008 and page 1-2 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2007-08).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:	...	214.80
	स्वीकृत	Voted:	5650.91	81.50
				5732.41
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	भारित	Charged:	0.01	...
	स्वीकृत	Voted:	800.01	...
				800.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	भारित	Charged:
	स्वीकृत	Voted:	1067.95	...
				1067.95
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	7518.97	296.30	7815.18
	भारित	Charged:	0.01	214.80
	स्वीकृत	Voted:	7518.87	81.50
				7600.37

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2401- फसल उत्पादन	स्वीकृत	2401-Crop Husbandary	Voted:	271.95 (का)
2552- पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत	2552-North Eastern Areas	Voted:	30.00 (गं)
3601- राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	स्वीकृत	3601-Grants-in-aid to State Governments	Voted:	565.00 (घं)
3602- संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता अनुदान	स्वीकृत	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	Voted:	1.00 (ङ)
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	867.95
				200.00
				1067.95

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए है:

- (क) (i) कृषि बीमा कम्पनी (एआईसी) के तहत प्रायोगिक आधार पर मौसम आधारित बीमा योजना कार्यान्वित करने के लिए (69.19 करोड़ रुपए)। इसमें नकद व्यय होगा।
(ii) 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन' के तहत अतिरिक्त निधियां (198.75 करोड़ रुपए) प्रदान करने के लिए। इसमें नकद व्यय होगा।
(iii) अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता स्कीम के अन्तर्गत कृषि के लिए राज्य आयोजनाओं को धनराशि मुहैया कराने के लिए (4 करोड़ रुपए)। इसमें नकद व्यय होगा।
(iv) पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड के लिए बागवानी संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन (5.00 करोड़ रुपए); नारियल विकास बोर्ड (12.00 करोड़ रुपए); और राष्ट्रीय बांस मिशन (55 करोड़ रुपए) हेतु। चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की गई है।

The supplementary grant is required for the following purposes:

- (a) (i) For implementation of Weather Based Insurance scheme on pilot basis, under Agriculture Insurance Company (AIC) (Rs. 69.19 crore). This will entail cash outgo.
(ii) For providing additional funds under 'National Food Security Mission' (Rs. 198.75 crore). This will entail cash outgo.
(iii) For providing funds under Additional Central Assistance Scheme to State Plans for Agriculture (Rs. 4 crore). This will entail cash outgo.
(iv) For Technology Mission on Horticulture for North Eastern States, Sikkim, Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh & Uttarakhand (Rs. 5.00 crore); Coconut Development Board (Rs. 12.00 crore); and National Bamboo Mission (Rs. 55 crore). As savings are available within the same Section of the Grant, token supplementary is sought.

- (ख) रबी 2005-06 और 2006-07 के दौरान सरसों के मूल्य समर्थन अभियानों के तहत सरसों के बीजों की खरीद/बिक्री के संबंध में राष्ट्रीय कृषि

- (b) For reimbursement of losses incurred by National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Limited (NAFED)

- | | |
|---|---|
| सहकारी विपणन संघ (नेफेड) को हुए नुकसान की प्रतिपूर्ति करने के लिए। इसमें नकद व्यय होगा। | on procurement/disposal of mustard seeds under Price Support Operations for Mustard during Rabi 2005-06 and 2006-07. This will entail cash outgo. |
| (ग) अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता स्कीम के अन्तर्गत कृषि के लिए राज्य आयोजनाओं को धनराशि मुहैया कराने के लिए। इसमें नकद व्यय होगा। | (c) For providing funds under Additional Central Assistance Scheme to State Plans for Agriculture. This will entail cash outgo. |
| (घ) अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता स्कीम के अन्तर्गत कार्यान्वयन हेतु कृषि के लिए राज्य आयोजनाओं को धनराशि मुहैया कराने के लिए। इसमें नकद व्यय होगा। | (d) For providing funds under implementation of Additional Central Assistance Scheme to State Plans for Agriculture. This will entail cash outgo. |
| (ङ) अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता स्कीम के अन्तर्गत कृषि के लिए संघ राज्य क्षेत्र आयोजनाओं को धनराशि मुहैया कराने के लिए। इसमें नकद व्यय होगा। | (e) For providing funds under Additional Central Assistance Scheme to Union Territory Plans for Agriculture. This will entail cash outgo. |

मांग संख्या DEMAND NO. 2

कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग
DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND EDUCATION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 2 देखिए)।

(See page 2 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत	Voted:	2460.00	...	2460.00	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत	Voted:	0.01	96.00	96.01	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)				
स्वीकृत	Voted:	2460.01	96.00	2556.01	

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2415- कृषि अनुसंधान और शिक्षा	2415-Agricultural Research and Education				
स्वीकृत	Voted:	0.01 (का)	...	0.01	
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
6402- मृदा एवं जल संरक्षण के लिए ऋण	6402-Loans for Soil and Water Conservation				
स्वीकृत	Voted:	96.00 (खब)	...	96.00	
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	96.01	...	96.01	

टिप्पणी : उपर्युक्त अनुमानों में उन वसूलियों को शामिल नहीं किया जाता जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।

Note : The above estimates do not include the recoveries, which are adjusted in reduction of expenditure.

पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
6402- मुद्रा एवं जल संरक्षण के लिए ऋण	6402-Loans for Soil and Water Conservation				
		(-) 96.00	...	96.00	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए मांगा गया है:

This supplementary grant is sought for the following purposes:

- | | |
|--|--|
| <p>(क) (i) कृषि अनुसंधान और वर्तमान आधारभूत ढांचे की सुविधाओं आदि को सुदृढ़ करने के लिए तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर को सहायता अनुदान (25.00 करोड़ रुपए)।</p> <p>(ii) जैव-प्रौद्योगिकी और नैनो प्रौद्योगिकी के जरिए कृषि और पशु विज्ञानों की आधुनिक प्रौद्योगिकियों के संबंध में अनुसंधान कार्यक्रम शुरू करने के लिए गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान (25.00 करोड़ रुपए)।</p> <p>(iii) किसानों और प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देने और आईसीएआर द्वारा मॉनीटरिंग और मूल्यांकन करने के लिए 32 राज्य कृषि विश्वविद्यालयों</p> | <p>(a) (i) Grants-in-aid to Tamil Nadu Agricultural University, Coimbatore to strengthen research in agriculture and existing infrastructure facilities, etc. (Rs.25.00 crore).</p> <p>(ii) Grants-in-aid to Govind Ballabh Pant University of Agriculture and Technology, Pantnagar for initiating research programmes in cutting edge technologies in agriculture and animal sciences through biotechnology and nanotechnology (Rs.25.00 crore).</p> <p>(iii) Grants-in-aid to 32 State Agriculture Universities and Indian Council of Agricultural Research (ICAR) institutes</p> |
|--|--|

और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) संस्थानों को सहायता अनुदान (3.23 करोड़ रुपए)।

for training of farmers and trainers and for monitoring and evaluation by ICAR (Rs. 3.23 crore).

चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

As savings are available in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

(ख) 32 चुनिंदा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थानों में "शिक्षण एवं प्रदर्शन, प्रशिक्षकों एवं किसानों के प्रशिक्षण के जरिए आजीविकाओं हेतु कृषि में जल उत्पादकता" को बढ़ाने से संबंधित योजना को कार्यान्वित करने हेतु एक संचित निधि तैयार करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को ब्याज-मुक्त ऋण प्रदान करना (96.00 करोड़ रुपए)। इस व्यय की प्रतिपूर्ति भारत के लोक लेखे में सामाजिक एवं आधारभूत ढांचा विकास निधि से वसूलियों द्वारा की जाएगी।

(b) To provide interest free loan to the Indian Council of Agricultural Research (ICAR) for creating a Corpus Fund to implement the Scheme relating to the "Scaling up Water Productivity in Agriculture for Livelihoods through Teaching cum Demonstration, Training of Trainers and Farmers" in 32 selected State Agriculture Universities and Indian Council of Agricultural Research (ICAR) institutes (Rs. 96.00 crore). The expenditure will be matched by recoveries from the Social and Infrastructure Development Fund in the Public Account of India.

मांग संख्या DEMAND NO.3

पशुपालन, डेरी कार्य और मात्स्यिकी विभाग

DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING AND FISHERIES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 3 देखिए)।

(See page 3 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत	Voted:	1144.20	17.80	1162.00	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत	Voted:	0.03	...	0.03	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)				
स्वीकृत	Voted:	1144.23	17.80	1162.03	

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

राजस्व भाग मुख्य शीर्ष	REVENUE SECTION MAJOR HEAD	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
2403-पशु पालन	2403- Animal Husbandry			
स्वीकृत	Voted:	0.01 (का)	0.01 (खb)	0.02
2404-डेरी विकास	2404- Dairy Development			
स्वीकृत	Voted:	0.01 (गc)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	Voted:	0.01	0.03

ये पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए मांगे गए हैं:

- व्यावसायिक कार्यकुशलता विकास योजना के तहत सतत पशुचिकित्सा शिक्षा शुरू करने के लिए पशु-चिकित्सा परिषद को सहायता अनुदान (0.09 करोड़ रुपए);
 - कुछ राज्यों में खुरपका और मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत टीके शुरू करने के लिए खुरपका और मुंहपका रोग नियंत्रण टीके की खरीद के लिए (4.97 करोड़ रुपए)।
 - राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन परियोजना स्कीम के तहत पशु-चिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए अनुसंधान संस्थान की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए (0.40 करोड़ रुपए)।
- (ख) दि. 31.3.2006 की स्थिति के अनुसार कुक्कट पालकों की बकाया मूल राशि पर जो बर्ड फ्लु फैलने पर कुक्कुट उद्योग को वित्तीय राहत प्रदान करने के लिए दी गई थी, एक वर्ष की अवधि को लिए 4 प्रतिशत के एक बारगी ब्याज अनुदान पर हुए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (0.44 करोड़ रुपए)।
- गहन डेरी विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए दुग्ध यूनियनों/संघों को सहायता अनुदान (7.76 करोड़ रुपए)।
 - सहकारी समितियों को सहायता योजना के तहत वचनबद्ध देनदारी को पूरा करने के लिए (2.00 करोड़ रुपए); और
 - डेरी/कुक्कट उद्यम पूंजी निधि योजना के लिए (17.00 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के इसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए प्रत्येक मामले में सांकेतिक पूरक अनुदान मांगे गए हैं।

The supplementary grants are sought for the following purposes:

- Grants-in-aid to Veterinary Council of India to undertake Continuing Veterinary Education under Professional Efficiency Development Scheme (Rs. 0.90 Crore);
 - For purchase of Foot and Mouth Disease Control vaccine to undertake vaccination in some States under the scheme of Foot and Mouth Disease Control Programme (Rs. 4.97 Crore);
 - To meet the requirement of Research Institute for strengthening of Veterinary services under the scheme of National Project on Rinderpest Eradication (Rs. 0.40 Crore);
- (b) For meeting additional expenditure on one time interest subvention of 4% for a period of one year on principal amount outstanding against poultry farmers as on 31.3.2006 to provide financial relief to the poultry industry following the outbreak of Avian Flu (Rs. 0.44 Crore);
- Grants-in-aid to milk unions/federations for implementation of Intensive Dairy Development Programme (Rs. 7.76 Crore);
 - To meet committed liability under the scheme of Assistance to Cooperatives (Rs. 2.00 crore); and
 - For Dairy/Poultry Venture Capital Fund scheme (Rs. 17.00 crore).

As matching savings are available within the same section of the Grant, token supplementaries are sought in each case.

मांग संख्या DEMAND NO.5

परमाणु ऊर्जा
ATOMIC ENERGY

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 5 और वर्ष 2007-08 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 3 देखिए)।
(See page 5 of the Demands for Grants for the year 2007-2008 and page 3 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:	4.10	...	4.10
	स्वीकृत	Voted:	2457.45	2154.01	4611.46
I. पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	भारित	Charged:	...	17.41	17.41
	स्वीकृत	Voted:
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत	Voted:	0.01	0.02	0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		2461.56	2171.44	4633.00
	भारित	Charged:	4.10	17.41	21.51
	स्वीकृत	Voted:	2457.46	2154.03	4611.49

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3401-परमाणु ऊर्जा अनुसंधान	3401- Atomic Energy Research	Voted:	0.01 (का)	...	0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4861-परमाणु ऊर्जा उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	4861- Capital Outlay on Atomic Energy Industries	Voted:	0.01 (खब)	...	0.01
5401-परमाणु ऊर्जा अनुसंधान पर पूंजी परिव्यय	5401- Capital Outlay on Atomic Energy Research	Voted:	0.01 (गद)	...	0.01
जोड़ -पूंजी भाग	Total -Capital Section		0.02	...	0.02
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	Voted:	0.03	...	0.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए मांगा गया है:-

- (क) इन्टरनेशनल लीनीयर कोलिडर (आईएलसी) कार्यक्रम तथा संबंधित उन्नत त्वरित अनुसंधान एवं विकास में परियोजना भागीदारी हेतु टाटा इन्स्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च को अतिरिक्त सहायता अनुदान (0.25 करोड़)।
- (ख) हेवीवाटर प्लांट (मानुगुरु) हेतु हाउसिंग कॉलोनी का निर्माण (7.30 करोड़ रुपए)।
- (ग) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के तहत निम्नलिखित संबंधित परियोजनाओं के व्यय की पूर्ति हेतु (i) जूल्स होरोवित्ज रिएक्टर में भारत की भागीदारी (9.00 करोड़) (ii) रासायनिक इंजीनियरिंग शिक्षा एवं अनुसंधान डीआई-यूआईसीटी केन्द्र के लिए (10.45 करोड़)।

चूंकि अनुदान में उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, अतः प्रत्येक मामले में सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

The supplementary grant is sought for the following purposes:

- (a) Additional Grant in aid (Rs.0.25 crore) to Tata Institute of Fundamental Research for the project Participation in International Linear Colider (ILC) program and related Advanced Accelerator Research & Development.
- (b) Construction of Housing Colony (Rs.7.30 crore) for Heavy Water Plant (Manuguru).
- (c) To meet expenditure for the projects under Bhabha Atomic Research Centre towards (i) Indian participation in Jules Horowitz Reactor (Rs.9.00 crore) and (ii) DAE-UICT Centre for Chemical Engineering Education & Research (Rs.10.45 crore).

As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought in each case.

मांग संख्या DEMAND NO.9
नागर विमानन मंत्रालय
MINISTRY OF CIVIL AVIATION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 9 और केन्द्र सरकार की वर्ष 2007-08 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 5 देखिए)।

(See page 9 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008 and page 5 of First Supplementary Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	475.60	142.00	617.60
I. पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	...	0.01	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	548.01	...	548.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)			
	स्वीकृत	Voted:	1023.61	142.01	1165.62

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
3053-नागर विमानन	स्वीकृत	3053- Civil Aviation	Voted:	...	548.01	548.01

यह पूरक अनुदान एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के संबंध में गारंटी शुल्क (548.01 करोड़ रुपए) को बट्टे खाते डालने के लिए मांगा गया है। चूंकि इसकी पूर्ति प्राप्तियों द्वारा की जाएगी, इसलिए इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grant is sought for writing off guarantee fee (Rs.548.01 crore) in respect of Air India and Indian Airlines. This will not entail any cash outgo, as this will be matched by receipts.

मांग संख्या DEMAND NO.10

कोयला मंत्रालय
MINISTRY OF COAL

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 10 देखिए)।

(See page 10 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	स्वीकृत	Voted:	288.00	30.00	318.00
		Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	127.19	...	127.19
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)			
	स्वीकृत	Voted:	415.19	30.00	445.19

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
2803-कोयला एवं लिग्नाइट	स्वीकृत	2803-Coal and Lignite			
		Voted:	127.19	...	127.19

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित योजनाओं के लिए व्यय की पूर्ति हेतु मांगा गया है (क) कोयला खानों में संरक्षण एवं सुरक्षा (164.99 करोड़ रुपए) तथा (ख) कोयला खान क्षेत्रों में यातायात की आधारभूत संरचना के विकास (44.99 करोड़ रुपए) के लिए मांगा गया है। अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतों का उपयोग करने के बाद इस पर 127.19 करोड़ रुपए का नगद व्यय होगा।

The supplementary grant is sought for meeting expenditure under the Schemes (a) Conservation and Safety in Coal Mines (Rs.164.99 crore) and (b) Development of Transport Infrastructure in Coalfields Areas (Rs.44.99 crore). After utilizing the savings within the same Section of the Grant, this will entail a cash outgo of Rs.127.19 crore.

मांग संख्या DEMAND NO. 11

वाणिज्य विभाग
DEPARTMENT OF COMMERCE

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 11 और वर्ष 2007-08 की पहले बैच की पूरक अनुदान की मांगों का पृष्ठ 6 देखिए)।
(See page 11 of the Demands for Grants for the year 2007-2008 and page 6 of the First Batch of Supplementary Demands for Grants for the year 2007-08).

			(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:	0.50	...	0.50
	स्वीकृत	Voted:	1887.70	707.00	2594.70
पूरक अनुदान	SUPPLEMENTARY GRANT				
	भारित	Charged:
	स्वीकृत	Voted:	300.00	0.01	300.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत	Voted:	900.01	29.78	929.79
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		3088.21	736.79	3825.00
	भारित	Charged:	0.50	...	0.50
	स्वीकृत	Voted:	3087.71	736.79	3824.50

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2407-बागान	स्वीकृत	2407-Plantations	Voted:	0.01 (का)	...	0.01
3453-विदेशी व्यापार और निर्यात संवर्धन	स्वीकृत	3453-Foreign Trade and Export Promotion	Voted:	...	900.00 (खb)	900.00
जोड़ राजस्व भाग	स्वीकृत	Total Revenue Section	Voted:	0.01	900.00	900.01
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
5453-विदेशी व्यापार और निर्यात संवर्धन पर पूंजी परिव्यय		5453-Capital Outlay on Foreign Trade and Export Promotion				
	स्वीकृत		Voted:	29.78 (गc)	...	29.78
जोड़ पूंजी भाग	स्वीकृत	Total Capital Section	Voted:	29.78	...	29.78
जोड़ (प्ररक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	29.79	900.00	929.79

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए है:

The supplementary grant is required for the following purposes:

(क) काली मिर्च के निर्यात के कारण मसाला बोर्ड को सब्सिडी राशि (0.60 करोड़ रुपए) का भुगतान करने के लिए। चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

(a) for payment of subsidy to Spice Board (Rs.0.60 crore) on export of pepper. As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

(ख) (i) सम निर्यात पर शुल्क की वापसी के दावों का निपटान और विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय बिक्री कर तथा अन्तिम उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति (600.00 करोड़ रुपए) करने के लिए और (ii) निर्यातकों को रुपया निर्यात ऋण के संबंध में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को 2 प्रतिशत ब्याज

(b) To settle (i) claims of Duty Drawback on Deemed Export and reimbursement of Central Sales Tax and Terminal Excise Duty for Special Economic Zones (Rs.600.00 crore) and (ii) for providing 2% Interest subvention to Scheduled Commercial Banks (Rs.300.00 crore) in respect

- | | |
|--|--|
| <p>अनुदान (300.00 करोड़ रुपए) प्रदान करने हेतु। इसमें 900.00 करोड़ रुपए का नकद व्यय होगा।</p> <p>(ग) फुटवेयर डिजाइन विकास संस्थान, रायबरेली (उ.प्र.) के उन्नयन पर हुए व्यय (31.58 करोड़ रुपए) की पूर्ति करने के लिए। चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत आंशिक बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए इसमें 29.78 करोड़ रुपए का नकद परिव्यय होगा।</p> | <p>of rupee export credit to the exporters. This will entail cash outgo of Rs.900.00 crore.</p> <p>(c) To meet expenditure (Rs.31.58 crore) for Upgradation of Footwear Design Development Institute, Rae Bareilly (UP). As part saving are available within the same Section of the Grant, this will entail cash outgo of Rs.29.78 crore.</p> |
|--|--|

मांग संख्या DEMAND NO.12

औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 12 तथा वर्ष 2007-08 की अनुदानों की पहली बैच की पूरक मांगों का पृष्ठ 7 देखिए)।

(See page 12 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008 and page 7 of First Supplementary Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:
	स्वीकृत	Voted:	613.46	613.46
I. पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	0.01	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	5.00	5.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	613.47	5.00	618.47
	भारित	Charged:
	स्वीकृत	Voted:	613.47	618.47

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4875-अन्य उद्योगों पर	4875- Capital Outlay			
पूंजी परिव्यय	on Other Industries	Voted:	5.00	5.00

इस पूरक अनुदान की मांग दिल्ली-मुंबई इन्डस्ट्रीयल कॉरिडोर प्रॉजेक्ट के कार्यान्वयन के लिए "दिल्ली-मुंबई इन्डस्ट्रीयल कॉरिडोर डवलपमेंट कॉरपोरेशन" में इक्विटी के रूप में 5 करोड़ रुपए का निवेश करने के लिए की गयी है।

The supplementary grant is sought for an investment of Rs.5 crore in the form of equity in 'Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation' to implement the Delhi-Mumbai Industrial Corridor Project. As savings are available in the Revenue Section of the Grant, a technical supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO.13

डाक विभाग
DEPARTMENT OF POSTS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-08 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 13 देखिए)।

(See page 13 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008)

			(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:	0.10	...	0.10
	स्वीकृत	Voted:	7237.29	232.22	7469.51
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	भारित	Charged:	...	0.17	0.17
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		7237.39	232.39	7469.78
	भारित	Charged:	0.10	0.17	0.27
	स्वीकृत	Voted:	7237.29	232.22	7469.51

II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
5201-डाक सेवाओं पर	5201-Capital Outlay on				
पूंजी परिव्यय	Postal Services				
	भारित	Charged:	0.17	...	0.17

इस पूरक विनियोग की आवश्यकता बेंगलुरु व कर्नाटक में स्टाफ क्वार्टर्स के निर्माण में विवाचन फैसले की वजह से भुगतान को पूरा करने के लिए है। चूंकि अनुदान के पूंजी स्वीकृत भाग के अन्तर्गत समतुल्य बचतें उपलब्ध हैं, अतः इस पूरक अनुदान में कोई नगद व्यय नहीं होगा।

The supplementary appropriation is sought towards meeting payment arising out of an Arbitration Award in construction of 'staff quarters' at Bangalore, Karnataka. As matching savings are available under Capital voted section of the grant, this supplementary does not entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO.14

दूरसंचार विभाग

DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 14 और वर्ष 2007-08 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 8 देखिए)।
(See page 14 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008 and page 8 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:
	स्वीकृत	Voted:	5445.00	195.00	5640.00
I. पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	भारित	Charged:	0.08	...	0.08
	स्वीकृत	Voted:	377.00	352.00	729.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत	Voted:	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		5822.08	547.01	6369.09
	भारित	Charged:	0.08	...	0.08
	स्वीकृत	Voted:	5822.00	547.01	6369.01

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
5275-अन्य संचार सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत 5275- Capital Outlay on other Communication Services	Voted:	0.01	...	0.01

यह पूरक अनुदान की आवश्यकता भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) के लिए कार्यालय भवन का निर्माण करने के लिए भूमि की खरीद करने के लिए है (10 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के पूंजी भाग में समतुल्य बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

The supplementary grant is required for purchase of land for construction of office building for Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) (Rs.10 crore). As matching savings are available in the Capital Section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 17

उपभोक्ता मामले विभाग

DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 17 देखिए)।

(See page 17 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	स्वीकृत Supplementary Estimate of the amount now required:	Voted:	235.74	34.50	270.24
जोड़ (मूल और पूरक)	स्वीकृत Total (Original plus Supplementary)	Voted:	0.02	...	0.02
	स्वीकृत Total (Original plus Supplementary)	Voted:	235.76	34.50	270.26

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3456-नागरिक आपूर्ति	3456-Civil Supplies				
स्वीकृत	Voted:	...	0.01 (का)	0.01	
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	3475-Other General Economic Services	Voted:	0.01 (खb)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	Voted :	0.01	0.01	0.02

इस पूरक अनुदान की मांग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए की गयी है :-

The supplementary grant is sought for the following purposes:-

(क) खनिज तथा धात्विक व्यापार निगम लि. (1 करोड़ रुपए), भारतीय राज्य व्यापार निगम लि. (1 करोड़ रुपए), पीईसी लि. (1 करोड़ रुपए), राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लि. (1 करोड़ रुपए) और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लि. (1 करोड़ रुपए) को दालों के आयात पर हुए नुकसान की प्रतिपूर्ति के लिए।

(a) for reimbursement of losses on import of pulses by MMTC Ltd. (Rs. 1 crore), The State Trading Corporation of India Ltd. (Rs. 1 crore), PEC Ltd. (Rs. 1 crore), National Agricultural Co-operative Marketing Federation of India Ltd. (Rs. 1 crore) and National Co-operative Consumers' Federation of India Ltd. (Rs. 1 crore).

(ख) मशीनरी तथा उपस्कर की अधिप्राप्ति (13.91 करोड़ रुपए) जो मुख्य रूप से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के स्तर पर बाट तथा माप की आधारभूत संरचना की मजबूती के लिए है।

(b) for procurement of machinery and equipment (Rs. 13.91 crore) centrally for strengthening of Weights and Measures Infrastructure at States/Union Territories level.

चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगे गए हैं।

As savings are available within the same Section of the Grant, token supplementaries are sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 18

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 18 और वर्ष 2007-2008 की अनुदानों के पहले बैंच की पूरक मांगों का पृष्ठ 9 देखिए)।

(See page 18 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008 and page 9 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:
	स्वीकृत	Voted:	26115.00	376.20	26491.20
पूरक अनुदान :	SUPPLEMENTARY GRANT :				
	भारित	Charged:	0.54	...	0.54
	स्वीकृत	Voted:	300.00	...	300.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत	Voted:	278.86	...	278.86
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		26694.40	376.20	27070.60
	भारित	Charged:	0.54	...	0.54
	स्वीकृत	Voted:	26693.86	376.20	27070.06

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2408-खाद्य, भंडारण और भंडागार	2408-Food, Storage and Warehousing	स्वीकृत	Voted:	...	278.86

टिप्पणी: उपर्युक्त अनुमानों में वसूलियां शामिल नहीं हैं जिन्हें व्यय को घटाकर समायोजित किया गया है :
Note: The above estimates do not include the recoveries, which are adjusted in reduction of expenditure:

राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2408-खाद्य, भंडारण और भंडागार	2408-Food, Storage and Warehousing		...	(-) 120.00	(-) 120.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए अपेक्षित है :-

The supplementary grant is sought for the following purposes:-

- | | |
|---|--|
| <p>(क) दिनांक 19.04.2007 को या बाद में चीनी के निर्यात लदान के लिए आन्तरिक परिवहन और मालभाड़ा प्रभार की प्रतिपूर्ति (120.00 करोड़ रुपए) चूंकि प्रस्तावित व्यय की पूर्ति चीनी विकास कोष द्वारा की जाएगी, इसलिए इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।</p> <p>(ख) वर्ष 2005-06 से 2007-08 के वर्षों के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के लिए सहकारी एवं शहरी सहकारी बैंक को ब्याज आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु (158.86 करोड़ रुपए)। इसमें नकद व्यय होगा।</p> | <p>(a) Re-imbursement of internal transport and freight charges for export shipment of sugar on or after 19.4.2007 (Rs. 120.00 crore). As this will be met from Sugar Development Fund, there will be no cash outgo.</p> <p>(b) Providing interest subvention to Cooperative and Urban Cooperative Bank through National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) for the years 2005-06 to 2007-08 (Rs. 158.86 crore). This will entail cash outgo.</p> |
|---|--|

मांग संख्या DEMAND NO.19

संस्कृति मंत्रालय
MINISTRY OF CULTURE

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 19 और वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 10 देखिए)।
(See page 19 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008 and page 10 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2007-2008).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत	Voted:	882.61	50.00	932.61	
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
स्वीकृत	Voted:	70.02	...	70.02	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत	Voted:	34.96	...	34.96	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)				
स्वीकृत	Voted:	987.59	50.00	1037.59	

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2205-कला एवं संस्कृति	2205- Art and Culture				
स्वीकृत	Voted:	5.01 (का)	29.95 (खb)	34.96	
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	Voted:	5.01	29.95	34.96
टिप्पणी: उपर्युक्त अनुमानों में निम्नलिखित वसूलियां शामिल नहीं हैं, जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।					
Note: The above estimates do not include the recoveries, which are adjusted in reduction of expenditure.					
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2205-कला एवं संस्कृति	2205- Art and Culture	(-)5.00	...	(-)5.00	

इन पूरक अनुदानों की मांग निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु की गयी है:

The supplementary grants are sought for the following purposes:

- | | |
|--|---|
| <p>(क) (i) राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा अपने स्वर्ण जयंती समारोहों पर अतिरिक्त व्यय (2.50 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु।</p> <p>(ii) एशियाटिक सोसायटी, कोलकाता द्वारा 225वीं वर्षगांठ समारोह पर अतिरिक्त व्यय (1.25 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु।</p> <p>(iii) सांस्कृतिक संसाधन तथा प्रशिक्षण केन्द्र को उदयपुर में अपने क्षेत्रीय केन्द्र भवन के निर्माण के लिए अतिरिक्त निधि (1.50 करोड़ रुपए) उपलब्ध करने हेतु।</p> <p>(iv) “बहु उद्देशीय सांस्कृतिक परिसरों जिसमें बालकों के लिए भी व्यवस्था शामिल है, की स्थापना” से सम्बद्ध योजना के अन्तर्गत चालू परियोजनाओं के लिए दूसरी किश्त की व्यवस्था हेतु अतिरिक्त व्यय (7.25 करोड़ रुपए) की पूर्ति करने हेतु।</p> <p>(v) लार्ज फार्मेट फिल्म प्रोजेक्शन सिस्टम हेतु राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, नेहरु विज्ञान केन्द्र, मुम्बई को सहायता</p> | <p>(a) (i) For meeting additional expenditure for celebration of its Golden Jubilee by National School of Drama (Rs.2.50 crore).</p> <p>(ii) For meeting additional expenditure for celebration of its Bicentennial Silver Jubilee by Asiatic Society, Kolkata (Rs.1.25 crore).</p> <p>(iii) Additional fund to Centre for Cultural Resources and Training for construction of its Regional Centre Building at Udaipur (Rs.1.50 crore).</p> <p>(iv) For meeting additional expenditure for providing 2nd instalment for ongoing projects under the scheme ‘Setting up of Multipurpose Cultural Complexes including those for children’ (Rs.7.25 crore).</p> <p>(v) Grants-in-aid to National Council of Science Museums for Large Format Film Projection System,</p> |
|--|---|

अनुदान; क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र, कोजीकोट तथा लखनऊ का निर्माण कार्य (2.19 करोड़ रुपए)।

Nehru Science Centre, Mumbai; construction work of Regional Science Centres, Kozhikode and Lucknow (Rs.2.19 crore).

चूंकि अनुदान के इसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की गयी है।

As savings are available within the Revenue Section of the Grant, a token supplementary is sought.

(vi) गांधी शांति फाउंडेशन की आधारभूत निधि को सहायता अनुदान (5.00 करोड़ रुपए)।

(vi) Grants-in-aid to Corpus Fund of Gandhi Peace Foundation (Rs.5.00 crore).

चूंकि प्रस्तावित व्यय को भारतीय लोक लेखे में धारित “सामाजिक तथा ढांचागत विकास कोष” से पूरा किया जाएगा, इसलिए कोई नकद व्यय नहीं होगा।

Since the proposed expenditure will be met from the ‘Social and Infrastructure Development Fund’ placed in the Public Account of India, there will be no cash outgo.

(ख) (i) कुका शहीद स्मारक, मलेरकोटला, पंजाब को सहायता अनुदान (1.00 करोड़ रुपए)।

(b) (i) Grants-in-aid to Kuka Martyrs Memorial, Mallerkotla, Punjab (Rs.1.00 crore).

(ii) प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, 1857 की 150वीं वर्षगांठ समारोह के आयोजन के लिए निम्नलिखित कार्यक्रमों/घटनाओं हेतु अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु - कर्नाटक सरकार द्वारा टीपू सुल्तान से सम्बद्ध समारोह का आयोजन; गीत और नाट्य प्रभाग के कार्यक्रम; सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय द्वारा ‘तात्या’ फीचर फिल्म का निर्माण; संगीत नाटक अकादमी के कार्यक्रम; जलियांवाला बाग समारोह; जवाहर लाल नेहरू विश्व विद्यालय में शहीद भगत सिंह पीठ की स्थापना; और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्व विद्यालय में बहादुर शाह जफर पीठ की स्थापना (28.94 करोड़ रुपए)।

(ii) For meeting additional expenditure for the following programmes/events relating to Commemoration of 150th Anniversary of first War of Independence, 1857:- Organizing function on Tipu Sultan by Government of Karnataka; Programmes of Song & Drama Division; Production of a feature film ‘Tatya’ by Ministry of Information & Broadcasting; Programmes of Sangeet Natak Academi; Function at Jallianwala Bagh; Setting up a Chair on Shaheed Bhagat Singh at Jawaharlal Nehru University; and a Chair on Bahadurshah Zafar at Indira Gandhi National Open University (Rs.28.94 crore).

इसमें निवल नकद व्यय होगा।

This will entail a net cash outgo.

(iii) लाल बहादुर जन्म शताब्दी समारोह के आयोजन के भाग के रूप में मांडा गांव, जिला-इलाहाबाद में पोलिटेक्निक के निर्माण (3.00 करोड़ रुपए) और गांव; सोलसिन्दा, जिला: इंदौर में महिला पोलिटेक्निक संस्थान की स्थापना (5.00 करोड़ रुपए) के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।

(iii) For meeting additional expenditure for construction of a Polytechnic at Manda Village, District: Allahabad (Rs.3.00 crore) and a Women Polytechnic Institute at Village: Solsinda, District: Indore (Rs.5.00 crore) as a part of Lal Bahadur Shastri Centenary Celebrations.

(iv) नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय के कर्मचारियों को वेतन, सेवानिवृत्ति लाभ तथा चिकित्सा बिलों की प्रतिपूर्ति करने हेतु सहायता अनुदान (0.80 करोड़ रुपए)।

(iv) Grants-in-aid to Nehru Memorial Museum and Library for providing salary, retirement benefits and reimbursement of medical bills to its employees (Rs.0.80 crore).

चूंकि अनुदान के राजस्व भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की गयी है।

As savings are available within the Revenue Section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO.31

विदेश मंत्रालय

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 31 देखिए)।

(See page 31 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	स्वीकृत	Voted:	3674.38	759.22	4433.60
		Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	100.01	...	100.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)			
	स्वीकृत	Voted:	3774.39	759.22	4533.61

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

राजस्व भाग मुख्य शीर्ष		REVENUE SECTION MAJOR HEAD		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
2601-विदेश मंत्रालय	स्वीकृत	2061- External Affairs	Voted:	...	100.01	100.01

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए है:-

(क) विशेष राजनयिक व्यय (100.00 करोड़ रुपए) के लिए। इसमें निवल नकद व्यय होगा।

(ख) भारतीय विश्व मामले परिषद के लिए सहायता अनुदान (1.00 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

The supplementary grant is required for following purposes:-

(a) For Special Diplomatic Expenditure (Rs.100.00 crore). This will entail net cash outgo.

(b) For Grants-in-Aid to Indian Council of World Affairs (Rs.1.00 crore). Since savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO.32

आर्थिक कार्य विभाग

DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 32 और वर्ष 2007-08 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 16 देखिए)।
(See page 32 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008 and page 16 of the first Supplementary Demands for Grants for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत		Voted:	3486.23	455.20	3941.43
पूरक अनुदान		SUPPLEMENTARY GRANT			
स्वीकृत		Voted:	...	15.00	15.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत		Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)			
स्वीकृत		Voted:	3486.24	470.20	3956.44

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
2075-विविध सामान्य सेवाएँ	स्वीकृत	2075-Miscellaneous General Services	Voted:	...	0.01
				0.01	0.01

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) से प्राप्त अनुदान सहायता से निष्पादित कंट्री कॉऑपरेशन फ्रेमवर्क-II की अम्ब्रेला सहायता परियोजना के तहत व्यय (0.97 करोड़ रुपए) को पूरा करने के लिए है। चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत समतुल्य बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

The supplementary grant is required to meet the expenditure under Umbrella Support Project for Country Co-operation Framework-II (Rs.0.97 crore) executed with Grant received from United Nations Development Programme(UNDP). As matching savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO.33

वित्तीय संस्थानों को भुगतान

PAYMENTS TO FINANCIAL INSTITUTIONS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 33 और वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 17 देखिए)।
(See page 33 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008 and page 17 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2007-2008).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत	Voted:	5723.81	40353.76	46077.57	
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
स्वीकृत	Voted:	1.85	...	1.85	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत	Voted:	...	1500.00	1500.00	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)				
स्वीकृत	Voted:	5725.66	41853.76	47579.42	

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
7465-सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थाओं के लिए ऋण	7465-Loans for General Financial and Trading Institutions	Voted:	...	1500.00	1500.00
स्वीकृत					
टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकता के उपरोक्त अनुमानों में नीचे दर्शाई गई वसूलियां शामिल नहीं हैं, जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।					
Note: The above estimates of additional requirement do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.					
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
7465-सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थाओं के लिए ऋण	7465-Loans for General Financial and Trading Institutions	...	(-) 1000.00	(-) 1000.00	

इस पूरक अनुदान की मांग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए की गई है:

- ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के लिए आम आदमी बीमा योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रीमियम भुगतान में केन्द्र सरकार के हिस्से की देनदारी को पूरा करने के लिए निधि प्रबंधक के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रचालित किए जाने के लिए एक संचित निधि (1000 करोड़ रुपए) का सृजन करने के लिए। इस व्यय की पूर्ति भारत के लोक लेखे में रखी गई 'सामाजिक और आधारभूत ढांचा विकास निधि' से की जाने वाली वसूलियों द्वारा की जाएगी।
- आम आदमी बीमा योजना के लाभानुभोगियों के बच्चों को छात्रवृत्ति देने पर हुए खर्च को पूरा करने हेतु निधि प्रबंधक के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रचालित किए जाने वाली निधि (500 करोड़ रुपए) के सृजन के लिए। इस व्यय की पूर्ति भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा भारत सरकार को अदा किए गए मूल्यांकन अधिशेष के सरकार के हिस्से की प्राप्तियों द्वारा की जाएगी।

The supplementary grant is sought for the following purposes:

- For creation of a corpus fund (Rs.1000 crore) to be operated by Life Insurance Corporation of India as Fund Manager, for meeting the liability of Central Government towards its share of premium payment for implementation of Aam Aadmi Bima Yajana (AABY) for rural landless households. The expenditure will be matched by recoveries from the 'Social and Infrastructure Development Fund' placed in the Public Accounts of India.
- For creation of a fund (Rs.500 crores) to be operated by Life Insurance Corporation of India as Fund Manager, for meeting the expenditure on scholarships to the children of beneficiaries of Aam Aadmi Bima Yojana (AABY). The expenditure will be matched by receipts of Government's share of valuation surplus paid by Life Insurance Corporation of India to Government of India.

संख्या NO.34 (विनियोग)(APPROPRIATION)

ब्याज संदाय
INTEREST PAYMENTS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-08 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 34 देखिए)।

(See page 34 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008)

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:	163994.93	...	163994.93
	स्वीकृत	Voted:
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	भारित	Charged:	4500.00	...	4500.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	168494.93	...	168494.93	
	भारित	Charged:	168494.93	...	168494.93
	स्वीकृत	Voted:

II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2049-ब्याज अदायगियां	2049-Interest Payments			
	भारित	Charged:	...	4500.00
			4500.00	4500.00

इस पूरक विनियोग की आवश्यकता 'बाजार स्थिरीकरण योजना' के तहत ब्याज की देनदारियों के कारण हुए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति करने के लिए है।

इसमें निवल नकद व्यय होगा।

The supplementary appropriation is required to meet additional expenditure on account of interest liabilities under 'Market Stabilisation Scheme'.

This will entail net cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 35

राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्तरण

TRANSFERS TO STATE AND UNION TERRITORY GOVERNMENTS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 35 और केन्द्र सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 18 देखिए)।

(See page 35 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008 and page 18 of the First Supplementary Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:	30087.50	4286.50	34374.00
	स्वीकृत	Voted:	37574.20	...	37574.20
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	भारित	Charged:	...	1000.00	1000.00
	स्वीकृत	Voted:	300.00	...	300.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	भारित	Charged:	...	1500.00	1500.00
	स्वीकृत	Voted:	7763.28	...	7763.28
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	75724.98	6786.50	82511.48	
	भारित	Charged:	30087.50	6786.50	36874.00
	स्वीकृत	Voted:	45637.48	...	45637.48

II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary grant/appropriation will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2075- विविध सामान्य सेवाएं	2075-Miscellaneous General Services				
	स्वीकृत	Voted:	...	4763.28 (का)	4763.28
3601- राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments				
	स्वीकृत	Voted:	3000.00 (खब)	...	3000.00
जोड़ (राजस्व अनुभाग)	Total (Revenue Section)	Voted:	3000.00	4763.28	7763.28
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
7601- राज्य सरकारों को ऋण एवं अग्रिम	7601-Loans and Advances to State Governments				
	भारित	Charged:	1500.00 (गक)	...	1500.00
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)		4500.00	4763.28	9263.28
	भारित	Charged:	1500.00	...	1500.00
	स्वीकृत	Voted:	3000.00	4763.28	7763.28

इस पूरक अनुदान/विनियोग की आवश्यकता निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए है:

(क) इस पूरक अनुदान की आवश्यकता बारहवें वित्त आयोग के पंचाट के तहत ऋण माफी योजना के अधीन राज्य सरकारों को दिए गए ऋणों को बट्टे खाते डालने के लिए है। इनकी प्रतिपूर्ति प्राप्ति्यों द्वारा की जाएगी और इसलिए इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

(ख) (i) सामान्य केन्द्रीय सहायता के लिए (1500.00 करोड़ रुपए);
(ii) अन्य परियोजनाओं हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के लिए (500.00 करोड़ रुपए);
(iii) विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के तहत अनुदान घटक के लिए (ईएपी) [1000.00 करोड़ रुपए]
उपरोक्त में नकद व्यय होगा।

(ग) विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ईएपी) के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए। इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary grant/appropriation is required for the following purposes:

(a) For writing off of loans to the State Governments under Debt Waiver Scheme under the 12th Finance Commission Award. These will be matched by receipts, and hence will not entail any cash outgo.

(b) (i) For Normal Central Assistance (Rs. 1500.00 crore);
(ii) For Additional Central Assistance for other Projects (Rs. 500.00 crore);
(iii) For Grant component under Additional Central Assistance for Externally Aided Projects (EAPs) [Rs.1000.00 crore].
The above will entail cash outgo.

(c) For providing Additional Central Assistance for Externally Aided Projects (EAPs). This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO.46

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 46 और वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 20 देखिए)।
(See page 46 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008 and page 20 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2007-2008).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत	Voted:	16270.63	725.59	16996.22
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत	Voted:	0.01	37.00	37.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत	Voted:	280.51	2.30	282.81
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	16551.15	764.89	17316.04

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
			Plan	Non-Plan	Total	
राजस्व भाग			REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष			MAJOR HEAD			
2210-चिकित्सा तथा		2210- Medical and Public				
सार्वजनिक स्वास्थ्य	स्वीकृत	Health	Voted:	280.50 (का)	...	280.50
2211-परिवार कल्याण		2211- Family Welfare				
	स्वीकृत		Voted:	0.01 (खb)	...	0.01
जोड़ राजस्व भाग	स्वीकृत	Total Revenue Section	Voted:	280.51	...	280.51
पूंजी भाग			CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष			MAJOR HEAD			
4211-परिवार कल्याण		4211- Capital Outlay on				
पर पूंजी परिव्यय		Family Welfare	Voted:	2.30 (गc)	...	2.30
जोड़ पूंजी भाग		Total Capital Section	Voted:	2.30	...	2.30
जोड़ (प्रक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	282.81	...	282.81

इन पूरक अनुदानों की आवश्यकता निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए है:

The supplementary grants are required for the following purposes:

- (क) (i) औषधियों तथा उपस्करों की अधिप्राप्ति हेतु प्रावधान वस्तु शीर्ष - "मशीनरी तथा उपस्कर" के तहत पूंजी भाग मु. शी. 4210 के अन्तर्गत रखा गया था। अब इस प्रावधान को "राष्ट्रीय वेक्टर जन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम" सम्बन्धी योजना के अन्तर्गत वस्तु शीर्ष "आपूर्ति तथा सामग्री" के तहत राजस्व भाग के अधीन रखा जाएगा (280.49 करोड़ रुपए)।

- (a) (i) The provision for procurement of drugs & equipments was kept under Capital Section MH 4210 under the Object Head - "Machinery & Equipment". Now the same is to be kept under Revenue Section under Object Head- "Supplies & Materials" under the scheme "National Vector Borne Disease Control Programme" (Rs.280.49 crore).

चूंकि पूंजी भाग से समतुल्य राशि अभ्यर्पित की जाएगी, इसलिए इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

As an equivalent amount will be surrendered from the Capital Section, there will be no cash outgo.

- (ii) "राष्ट्रीय वेक्टर जन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम" की योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु (i) डीडीटी की आपूर्ति हेतु हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड को भुगतान (10.00 करोड़ रुपए) करने हेतु; (ii) हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड की दिल्ली इकाई के तत्कालीन कर्मचारियों को अन्तिम लाभों का भुगतान (4.07 करोड़ रुपए)।

- (ii) For additional requirements under the scheme "National Vector Borne Disease Control Programme" (i) For making the payment to Hindustan Insecticides Limited for supply of DDT (Rs. 10.00 crore); (ii) Payment of terminal benefits to the erstwhile employees of Delhi Unit of Hindustan Insecticides Limited (Rs.4.07 crore)

- (iii) "एकीकृत बीमारी निगरानी नियंत्रण कार्यक्रम" के लिए प्रावधानों (23.00 करोड़ रुपए) को विभिन्न वस्तु शीर्षों के तहत उपलब्ध कराना अपेक्षित होगा।

- (iii) Provisions for "Integrated Disease Surveillance Control Programme", is required to be made available to various Object Heads (Rs.23.00 crore).

चूंकि अनुदान के इसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की गयी है।

- (ख) (i) “नशबंदी/रिकैनलाइजेशन में प्रशिक्षण” योजना के लिए प्रावधानों (0.23 करोड़ रुपए) को विभिन्न वस्तु शीर्षों के तहत उपलब्ध कराना अपेक्षित होगा।
- (ii) “पुरुष भागीदारी” योजना के तहत प्रावधानों (2.82 करोड़ रुपए) को विभिन्न वस्तु शीर्षों के तहत उपलब्ध कराना अपेक्षित होगा।
- (iii) “प्रजनन तथा बाल स्वास्थ्य में अनुसंधान और अध्ययन गतिविधियों” से सम्बन्धित योजना के अन्तर्गत प्रावधानों (7.20 करोड़ रुपए) को विभिन्न शीर्षों के तहत उपलब्ध कराना अपेक्षित होगा।

चूंकि अनुदान के इसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की गयी है।

- (ग) विभिन्न वस्तु शीर्षों के तहत प्रावधान राजस्व भाग से किया गया (i) मुख्य निर्माण कार्यों के अन्तर्गत परिवार कल्याण प्रशिक्षण तथा अनुसंधान केन्द्र, मुम्बई (2.00 करोड़ रुपए) (ii) मशीनरी तथा उपस्कर (0.15 करोड़ रुपए) और मोटर वाहन (0.15 करोड़ रुपए) के तहत ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र, नजफगढ़। यह पूरक अनुदान पूंजी भाग को राशि के अन्तरण के लिए है।

चूंकि राजस्व भाग से समतुल्य राशि अभ्यर्पित की जाएगी, इसलिए कोई नकद व्यय नहीं होगा।

As savings are available within the same section of the grant, a token supplementary is sought.

- (b) (i) Provisions under the scheme “Training in Sterilization/Recanalization” is required to be made available to various Object Heads (Rs.0.23 crore).
- (ii) Provisions under the scheme “Male Participation” is required to be made available to various Object Heads (Rs.2.82 crore).
- (iii) Provisions under the scheme “Research & Study activities in Reproductive & Child Health” is required to be made available to various Object Heads (Rs.7.20 crore).

As savings are available within the same section of the grant, a token supplementary is sought.

- (c) The provision under various Object Heads (i) Family Welfare Training & Research Centre, Mumbai, under Major Works (Rs.2.00 crore) (ii) Rural Health Training Centre, Najafgarh under Machinery & Equipments (Rs.0.15 crore) and Motor Vehicles (Rs.0.15 crore) were provided in the Revenue Section. The Supplementary Demand is for transferring the amount to the Capital Section.

As an equivalent amount will be surrendered from the Revenue Section, there will be no cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 50

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 50 और वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 23 देखिए)।
(See page 50 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-08 and page 23 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2007-2008).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:	0.05	...	0.05
	स्वीकृत	Voted:	765.77	70.68	836.45
पूरक अनुदान	SUPPLEMENTARY GRANT				
	भारित	Charged:	0.05	...	0.05
	स्वीकृत	Voted:	18.00	...	18.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	भारित	Charged:	0.99	...	0.99
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	784.86	70.68	855.54	
	भारित	Charged:	1.09	...	1.09
	स्वीकृत	Voted:	783.77	70.68	854.45

II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2070-Other Administrative				
	भारित	Services Charged:	...	0.99	0.99

इस पूरक विनियोग की आवश्यकता विवाचन फैसलों के भुगतान पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु है। इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary appropriation is required for meeting the expenditure on payment of Arbitration Awards. This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO.51

मंत्रिमण्डल
CABINET

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 51 देखिए)।

(See page 51 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
भारित	Charged:	0.10	...	0.10
स्वीकृत	Voted:	205.27	33.36	238.63
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत	Voted:	74.00	...	74.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	279.37	33.36	312.73
भारित	Charged:	0.10	...	0.10
स्वीकृत	Voted:	279.27	33.36	312.63

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2013-मंत्रिपरिषद	2013-Council of Ministers			
स्वीकृत	Voted:	...	74.00	74.00
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	74.00	74.00

इस पूरक अनुदान (90.00 करोड़ रुपए) की आवश्यकता दौरे पर हुए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए है। अनुदान के इसी भाग के अन्तर्गत उपलब्ध बचत (16.00 करोड़ रुपए) को ध्यान में रखते हुए इस पूरक अनुदान पर निवल व्यय 74.00 करोड़ रुपए होगा।

The supplementary grant is required for meeting additional tour expenses (Rs.90.00 crore). Taking into account the savings available (Rs.16.00 crore) within the same Section of the Grant, the cash outgo will be Rs.74.00 crore.

मांग संख्या DEMAND NO.52

पुलिस
POLICE

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 52 और वर्ष 2007-08 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 24 देखिए)।
(See page 52 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-08 and page 24 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2007-08).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारति	Charged:	2.94	13.20
	स्वीकृत	Voted:	14469.55	4529.81
पूरक अनुदान	SUPPLYMENTARY GRANT			
	स्वीकृत	Voted:	120.00	81.10
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	0.01	...
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	14592.50	4624.11	19216.61
	भारति	Charged:	2.94	13.20
	स्वीकृत	Voted:	14589.56	4610.91

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2055-पुलिस	स्वीकृत 2055-Police	Voted:	...	0.01

यह पूरक अनुदान पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के विज्ञापन और प्रचार के व्यय (1.00 करोड़ रुपये) को पूरा करने के लिए अपेक्षित है।

The supplementary grant is required for meeting expenditure on Advertising and Publicity of Bureau of Police Research and Development (BPR&D) (Rs.1.00 crore).

चूंकि बचतें अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO.56

विद्यालयी शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION AND LITERACY

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 56 और वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 27 देखिए)।
(See page 56 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008 and page 27 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2007-2008).

			(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत	Voted:	33535.22	...	33535.22
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत	Voted:	0.01	...	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत	Voted:	0.02	...	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)				
	स्वीकृत	Voted:	33535.25	...	33535.25

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना		आयोजना-भिन्न	जोड़	
		Plan	Non-Plan	Total		
राजस्व भाग	REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
2202-सामान्य शिक्षा	2202-General Education					
	स्वीकृत	Voted:	0.01 (का)	...	0.01	
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas					
	स्वीकृत	Voted:	0.01 (खb)	...	0.01	
जोड़ (परक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	0.02	...	0.02

ये पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए मांगे गए हैं:

- (क) (i) “सर्व शिक्षा अभियान” के तहत केन्द्र और राज्यों के बीच निधिकरण की पद्धति को 50:50 से 65:35 करने के लिए संशोधित किए जाने के कारण अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु (2070.00 करोड़ रुपए)।
- (ii) राजस्थान में, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम-II परियोजना का विस्तार करने के कारण अधिक व्यय की पूर्ति करने के लिए (20.00 करोड़ रुपए)।
- (ख) पूर्वोत्तर-राज्यों में “सर्व शिक्षा अभियान” के तहत केन्द्र और राज्यों के बीच निधिकरण की पद्धति को 50:50 से 90:10 करने के लिए संशोधित किए जाने के कारण अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु (230.00 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगे गये हैं।

The supplementary grants are sought for the following purposes:

- (a) (i) For meeting additional expenditure due to the revision of the funding pattern between Centre and States from 50:50 to 65:35 under the scheme “Sarva Shiksha Abhiyan” (Rs.2070.00 crore).
- (ii) For meeting the additional expenditure on extension of District Primary Education Programme-II Project in Rajasthan (Rs.20.00 Crore).
- (b) For meeting additional expenditure due to the revision of the funding pattern between Centre and States from 50:50 to 90:10 under the scheme “Sarva Shiksha Abhiyan” in the North Eastern States (Rs.230.00 crore).

As savings are available in the same Section of the Grant, token Supplementaries are sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 57

उच्चतर शिक्षा विभाग
DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 57 और वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 28 देखिए)।
(See page 57 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008 and page 28 of the first Supplementary Demands for Grants for the year 2007-2008).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत Voted:	9208.50	1.00	9209.50	
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत Voted:	0.05	...	0.05	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत Voted:	0.01	...	0.01	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	9208.56	1.00	9209.56	

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2202-सामान्य शिक्षा	2202-General Education				
	स्वीकृत Voted:	0.01	...	0.01	
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)				
	स्वीकृत Voted:	0.01	...	0.01	

इस पूरक अनुदान की मांग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए की गयी है:

- "राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान" योजना के लिए मानदेय और छात्रवृत्ति में संशोधन करने के कारण अतिरिक्त व्यय (2.50 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु।
- "राष्ट्रीय सिन्धी भाषा संवर्धन परिषद" योजना के तहत परिषद के विस्तार तथा किराये की बढ़ी लागत पर अतिरिक्त व्यय (0.70 करोड़ रुपए) को पूरा करने हेतु।

चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत समतुल्य बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की गयी है।

The supplementary grant is sought for the following purposes:

- For meeting additional expenditure due to revision of honorarium and scholarship for the Scheme "Rashtriya Ved Vidya Pratishtan (Rs. 2.50 crore).
- For meeting additional expenditure on expansion of "National Council for Promotion of Sindhi Language" and increased cost of rental under the scheme (Rs. 0.70 crore).

As matching savings are available in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO.58

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 58 देखिए)।

(See page 58 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
भारित	Charged:	0.03	...	0.03	
स्वीकृत	Voted:	1391.76	290.12	1681.88	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत	Voted:	4.92	0.01	4.93	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1396.71	290.13	1686.84	
भारित	Charged:	0.03	...	0.03	
स्वीकृत	Voted:	1396.68	290.13	1686.81	
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:					
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:					
		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2220-सूचना तथा प्रचार	2220-Information and Publicity	Voted	4.92 (का)	...	4.92
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
6552-पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए ऋण	6552-Loans for North Eastern Areas	Voted	0.01 (खb)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)		4.93	...	4.93
भारित	Charged:	
स्वीकृत	Voted:	4.93	...	4.93	

इन पूरक अनुदानों की मांग निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु की गयी है :

- (क) प्रेस सूचना ब्यूरो के 'मीडिया आउटरीच कार्यक्रम' पर व्यय की पूर्ति हेतु। चूंकि अनुदान के पूंजी भाग के अंतर्गत समतुल्य बचतें उपलब्ध हैं, अतः इस पूरक अनुदान में कोई नकद व्यय नहीं होगा।
- (ख) पूर्वोत्तर में हार्डवेयर की अधिप्राप्ति और ट्रांसमीटरों का निर्माण हेतु प्रसार भारती को (47.50 करोड़ रुपए) ऋण उपलब्ध कराना। चूंकि अनुदान के पूंजी भाग में बचतें उपलब्ध हैं अतः सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की गयी है।

The supplementary grants are sought for the following purposes:

- (a) For meeting expenditure on 'Media Outreach Programme' of Press Information Bureau. As matching savings are available under Capital Section of the grant, this supplementary will not entail cash outgo.
- (b) For providing loans to Prasar Bharati (Rs.47.50 crore) for procurement of hardwares and erection of transmitters in North East. As savings are available in the Capital Section of the grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 59

श्रम और रोजगार मंत्रालय
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 59 और वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 29 देखिए)।
(See page 59 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008 and page 29 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2007-2008).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
भारित	Charged:	0.02	...	0.02
स्वीकृत	Voted:	1890.28	6.97	1897.25
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत	Voted:	235.90	...	235.90
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत	Voted:	0.04	750.00	750.04
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	2126.24	756.97	2883.21
भारित	Charged:	0.02	...	0.02
स्वीकृत	Voted:	2126.22	756.97	2883.19

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2230- श्रम और रोजगार	2230-Labour and Employment			
स्वीकृत	Voted:	0.01 (का)	...	0.01
2552- पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas			
स्वीकृत	Voted:	0.01 (खb)	...	0.01
3601- राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments			
स्वीकृत	Voted:	0.01 (गc)	...	0.01
3602- संघ राज्य की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments			
स्वीकृत	Voted:	0.01 (घd)	...	0.01
जोड़ (राजस्व अनुभाग)	Total (Revenue Section)	0.04	...	0.04
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
6250- अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए ऋण	6250-Loans for other Social Services			
स्वीकृत	Voted:	725.00 (ङe)	...	725.00
6552- पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए ऋण	6552-Loans for North Eastern Areas			
स्वीकृत	Voted:	25.00 (चf)	...	25.00
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	750.00	...	750.00
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	750.04	...	750.04

टिप्पणी : उपरोक्त अनुमानों में वसूलियां शामिल नहीं हैं, जिन्हें व्यय को घटाकर समायोजित किया जाता है।

Note : The above estimate do not include the recoveries, which are adjusted in reduction of expenditure.

पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
6250- अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए ऋण	6250-Loans for other Social Services			
		(-) 750.00	...	(-) 750.00

ये पूरक अनुदान "सरकारी-निजी भागीदारी के माध्यम से 1396 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) का दर्जा बढ़ाने" की योजना के अंतर्गत निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए अपेक्षित है:

- (क) (i) केन्द्रीय स्तर पर प्रबंधन, क्षमता निर्माण और प्रबंधन एवं मूल्यांकन के लिए (5.00 करोड़ रुपए)।
 (ii) संघ राज्य क्षेत्रों (विधानसभा रहित) को प्रबंधन और मॉनिटरिंग के लिए सहायता अनुदान (0.01 करोड़ रुपए)।
 (ख) पूर्वोत्तर राज्यों को प्रबंधन और मॉनिटरिंग के लिए सहायता अनुदान (0.10 करोड़ रुपए)।
 (ग) विभिन्न राज्यों को प्रबंधन और मॉनिटरिंग के लिए सहायता अनुदान (4.90 करोड़ रुपए)।
 (घ) संघ राज्य क्षेत्रों (विधानसभा-सहित) को प्रबंधन और मॉनिटरिंग के लिए सहायता अनुदान (0.01 करोड़ रुपए)।
 चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदानों की मांग की गयी है।
 (ङ और च): 24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 290 आईटीआई को कवर करने के लिए सम्बन्धित आईटीआई की संस्था प्रबंधन समिति (आईएमसी) के लिए प्रत्येक आईटीआई को 2.50 करोड़ रुपए तक और पूर्वोत्तर राज्यों में 10 आईटीआई (25.00 करोड़ रुपए) को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु (725.00 करोड़ रुपए)। यह प्रस्तावित व्यय भारतीय लोक लेखा में धारित 'सामाजिक और अवसंरचना विकास कोष' से वसूलियों द्वारा पूरा किया जाएगा।

The supplementary grants are required for the following purposes under the scheme "Upgradation of 1396 Industrial Training Institutes (ITIs) through Public Private Partnership":

- (a) (i) For management, capacity building and management and evaluation at central level (Rs. 5.00 crore).
 (ii) Grants-in-aid to Union Territories (without legislature) for management and monitoring (Rs. 0.01 crore).
 (b) Grants-in-aid to North Eastern States for management and monitoring (Rs. 0.10 crore).
 (c) Grants-in-aid to various States for management and monitoring (Rs. 4.90 crore).
 (d) Grants-in-aid to Union Territories (with legislature) for management and monitoring (Rs. 0.01 crore).

As matching savings are available in the same Section of the Grant, token supplementaries are sought.

- (e) & (f): For providing interest free loan, upto Rs. 2.50 crore per ITI to Institute Management Committee (IMC) of the concerned ITI for covering 290 ITIs in 24 States/Union Territories (approx. Rs. 725.00 crore) and 10 ITIs in NE States (Rs. 25.00 crore). The proposed expenditure will be matched by recoveries from the "Social and Infrastructure Development Fund" placed in the Public Accounts of India.

मांग संख्या DEMAND NO.61

विधि और न्याय
LAW AND JUSTICE

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 61 देखिए)।

(See page 61 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:
	स्वीकृत	Voted:	816.97	0.03
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			817.00
	स्वीकृत	Voted:	0.02	...
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	816.99	0.03	817.02

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2014-न्याय प्रशासन	2014- Administration of Justice			
	स्वीकृत	Voted:	...	0.01 (क)
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601- Grants-in-aid to State Governments	Voted:	...	0.01 (ख)
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	Voted:	...	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों को लिए मांगा गया है:

(क) विधिक शिक्षा से संबंधित नए कार्यक्रमों पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी (एनजेए) को सहायता अनुदान (5.75 करोड़ रुपए)।

(ख) राज्य सरकारों को पारिवारिक अदालतों की अनावर्ती लागतों के प्रति भारत सरकार की देनदारी का निर्वाह करने के लिए सहायता अनुदान (1.00 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के राजस्व भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

The supplementary grant is sought for the following purposes:

(a) Grants-in-aid to National Judicial Academy (NJA) for meeting additional expenditure on new programmes relating to legal education (Rs.5.75 crore).

(b) Grants-in-aid to State Governments in the discharge of Government of India's liability towards non-recurring costs of Family Courts(Rs.1.00 crore).

As savings are available within the Revenue Section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO.63

खान मंत्रालय
MINISTRY OF MINES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 63 और वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 31 देखिए)।
(See page 63 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008 and page 31 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2007-2008).

			(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:	0.10	...	0.10
	स्वीकृत	Voted:	334.19	55.41	389.60
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत	Voted:	15.00	...	15.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत	Voted:	585.34	0.01	585.35
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		934.63	55.42	990.05
	भारित	Charged:	0.10	...	0.10
	स्वीकृत	Voted:	934.53	55.42	989.95

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
			Plan	Non-Plan	Total	
राजस्व भाग			REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष			MAJOR HEAD			
2853-अलोह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	स्वीकृत	2853- Non-ferrous Mining and Metallurgical Industries	Voted:	22.00 (का)	563.34 (खb)	585.34
पूंजी भाग			CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष			MAJOR HEAD			
4853-अलोह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	4853- Capital Outlay on Non-ferrous Mining and Metallurgical Industries	Voted:	0.01 (गc)	...	0.01
जोड़ (परक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	22.01	563.34	585.35

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए मांगा गया है:

(क) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के संबंध में स्थापना, किराया दरों और करों के तहत निधि को बढ़ाने तथा अन्य खर्चों के लिए। इसमें नकद व्यय होगा।

(ख) (i) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड की अनुमोदित पुनर्संरचना योजना के एक भाग के रूप में संचित हानियों के समायोजन के लिए आवश्यक लेखा समायोजन करने के लिए जैसे कि 7.5 प्रतिशत असंचयी प्रतिदेय अधिमान्य शेयर (180.73 करोड़ रुपए) को कम करके लिखना तथा 382.21 करोड़ रुपए की इक्विटी के अंकित मूल्य को 10 रुपए से 5 रुपए कम करने के जरिए पूंजी की पुनर्संरचना पर इक्विटी को कम करके लिखना। इसकी पूर्ति प्राप्तियों द्वारा की जाएगी और इसलिए इसमें नकद व्यय नहीं होगा।

(ii) भारत स्वर्ण खान लि. के संसाधनों में अन्तर को पूरा करने के लिए (0.40 करोड़ रुपए)। इसमें नकद व्यय होगा।

(ग) हिन्दुस्तान कॉपर लि. की अनुमोदित पुनर्संरचना योजना के भाग के रूप में आवश्यक मांग समायोजन करने हेतु जैसे कि ऋण (50 करोड़ रुपए) को इक्विटी के रूप में रूपांतरित करने के लिए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की गयी है।

The supplementary grant is sought for the following purposes:

(a) for augmentation of fund under establishment, rent rates and taxes and other expenses in respect of Geological Survey of India. This will entail cash outgo.

(b) (i) for carrying out necessary accounting adjustments viz. write down of 7.5% non-cumulative redeemable preference share (Rs. 180.73 crore) and write down of equity on restructuring of capital through reduction of face value of equity from Rs.10 to Rs.5 amounting to Rs.382.21 crore against adjustment of accumulated losses as part of the approved restructuring plan of Hindustan Copper Limited. This will be matched by receipts and hence will not entail cash outgo.

(ii) for bridging the gap in resources of Bharat Gold Mines Limited (Rs.0.40 crore). This will entail cash outgo.

(c) A token supplementary is sought for carrying out necessary accounting adjustments viz. for conversion of loan (Rs.50 crore) into equity, as part of the approved restructuring plan of Hindustan Copper Limited.

मांग संख्या DEMAND NO. 64

अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय
MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 64 देखिए)।

(See page 64 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत	Voted:	442.83	70.00	512.83
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)			
स्वीकृत	Voted:	442.84	70.00	512.84

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2225-अनुसूचित जातियों, अनु- सूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	2225- Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward classes			
स्वीकृत	Voted:	0.01	...	0.01

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता पहचान किए गए अल्पसंख्यक संकेन्द्रित जिलों में मानीटरिंग तथा बेस लाइन सर्वेक्षण के लिए कल्याण सम्बन्धी योजनाओं के सम्बन्ध में सूचना के प्रसार हेतु मल्टी मीडिया अभिदान पर अतिरिक्त व्यय (14.98 करोड़ रुपए) को पूरा करने के लिए अपेक्षित है। चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

The supplementary grant is required for meeting additional expenditure on multi-media campaign for dissemination of information regarding welfare schemes for monitoring and base line survey in the identified minority concentration districts (Rs. 14.98 crore). As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

MINISTRY OF OVERSEAS INDIAN AFFAIRS

(See page 66 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-08).

राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
-------------------	------------------	---------------

50.00

0.01

50.01

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
----------------	--------------------------	---------------

0.01

The supplementary grant is required for meeting expenditure on Awareness Campaign (Rs.14.06 crore). As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO.67

पंचायती राज मंत्रालय
MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 67 तथा वर्ष 2007-08 की प्रथम पूरक अनुदानों की एक मांगों का पृष्ठ 33 देखिए)।
(See page 67 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008 and page 33 of the first Supplementary Demands for Grants 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	4770.50	...	4770.50
पूरक अनुदान		SUPPLEMENTARY GRANT			
	स्वीकृत	Voted:	0.01	...	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)			
	स्वीकृत	Voted:	4770.52	...	4770.52

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2515-अन्य ग्रामीण विकास		2515-Other Rural Development				
कार्यक्रम	स्वीकृत	programmes	Voted:	0.01	...	0.01

इस पूरक अनुदान की मांग नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान के तहत ई-पंचायतों पर मिशन मोड-प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन (10 करोड़ रुपए) हेतु की गयी है।

चूंकि अनुदान के उसी भाग में समतुल्य बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की गयी है।

The supplementary grant is sought for implementation of Mission Mode Project on e-Panchayats (Rs.10 crore), under National e-Governance Plan.

As matching savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 70

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय
MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 70 तथा केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 35 देखिए)।

(See page 70 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008 and page 35 of the First Supplementary Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008).

			(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत	Voted:	2867.81	...	2867.81
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत	Voted:	0.01	...	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत	Voted:	11256.93	...	11256.93
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		14124.75	...	14124.75

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2802-पेट्रोलियम	2802-Petroleum			
	स्वीकृत	Voted:	...	11256.93
			11256.93	11256.93
टिप्पणी : अतिरिक्त आवश्यकताओं के उपर्युक्त अनुमानों में नीचे दिखायी गयी प्राप्तियां शामिल नहीं हैं। जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।				
Note : The above estimates of additional requirements do not take into account the Receipts shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.				
8012-विशेष जमा और लेखे	8012-Special Deposits and Accounts			
		...	(-) 11256.92	(-) 11256.92

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए है:

(क) संवेदी पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री के कारण अनुमानित कम वसूलियों के प्रति तेल विपणन कम्पनियों को विशेष प्रतिभूतियां जारी करने के माध्यम से क्षतिपूर्ति की व्यवस्था करना (11,256.92 करोड़ रुपए)। इसमें नकद व्यय नहीं होगा।

(ख) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड कोष (पीएनजीआरबीएफ) को सहायता अनुदान (2.00 करोड़ रुपए) उपलब्ध कराना। चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत समतुल्य बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक अनुदान की मांग की गयी है।

The supplementary grant is required for :-

(i) Providing compensation through issue of Special Securities to the Oil Marketing Companies towards estimated under-recoveries on account of sale of sensitive petroleum products (Rs.11,256.92 crore). This will not entail cash outgo.

(ii) Providing Grants-in-Aid to Petroleum & Natural Gas Regulatory Board Fund (PNGRBF) (Rs. 2.00 crore). As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO.74

लोक सभा
LOK SABHA

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 74 देखिए)।

(See page 74 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
भारित	Charged:	0.39	...	0.39
स्वीकृत	Voted:	271.18	...	271.18
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
भारित	Charged:	0.05	...	0.05
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	271.62	...	271.62
भारित	Charged:	0.44	...	0.44
स्वीकृत	Voted:	271.18	...	271.18

II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2011-संसद/राज्य/संघ	2011 - Parliament/State/Union			
राज्य क्षेत्र विधानमंडल	Territory Legislatures	Charged:	...	0.05
भारित				0.05

इस पूरक विनियोग की आवश्यकता अतिरिक्त स्थापना संबंधी व्यय (0.05 करोड़ रुपए) को पूरा करने हेतु है। चूंकि अनुदान के स्वीकृत भाग से समतुल्य राशि अभ्यर्पित की जाएगी, अतः इसमें नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary appropriation is required for meeting additional establishment related expenditure (Rs. 0.05 crore). As an equivalent amount would be surrendered from the Voted Section of the Grant, there will be no cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO.78

ग्रामीण विकास विभाग

DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 78 और वर्ष 2007-08 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 36 देखिए)।
(See page 78 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008 and page 36 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	43347.86	...	43347.86
I. पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	300.00	20.00	320.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)			
	स्वीकृत	Voted:	43647.87	20.00	43667.87

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
3054-सड़कें एवं पुल	स्वीकृत	3054 - Roads and Bridges	Voted:	0.01	...	0.01

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी द्वारा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से नाबार्ड की विशेष विंडो के तहत जुटाए गए ऋणों के लिए ब्याज (85.75 करोड़ रुपए) का भुगतान करने के लिए है। चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

The supplementary grant is required for payment of interest (Rs.85.75 crore) against the loan raised by National Rural Roads Development Agency (NRRDA) from Special Window of National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD). As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO.80

पेय जल आपूर्ति विभाग

DEPARTMENT OF DRINKING WATER SUPPLY

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 80 देखिए)।

(See page 80 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत	Voted:	7561.74	...	7561.74
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)			
स्वीकृत	Voted:	7561.75	...	7561.75

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2215-जलापूर्ति एवं सफाई	2215- Water Supply and Sanitation			
स्वीकृत	Voted:	0.01	...	0.01

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता गुजरात राज्य के मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डीडीपी) संबंधी क्षेत्रों में कार्यान्वित किए जाने वाले ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (14.82 करोड़ रुपए) और मल निकासी तथा स्वच्छता कार्यक्रम (70 करोड़ रुपए) की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए है।

चूंकि अनुदान के इसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

The supplementary grant is required for meeting the additional requirement of the Rural Water Supply Programme (Rs.14.82 crore) to be implemented in the Desert Development Programme (DDP) areas of the State of Gujarat, and Sewerage and Sanitation Programme (Rs.70 crore).

As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 86

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(पूर्वनाम-लघु उद्योग मंत्रालय)
(Previously-Ministry of Small Scale Industries)

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 86 और वर्ष 2007-08 की पहली पूरक अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 38 देखिए)।
 (See page 86 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008 and page 38 of the first Supplementary Demands for Grants for the year 2007-2008).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत	Voted:	585.41	...	585.41
पूरक अनुदान	SUPPLEMENTARY GRANT			
स्वीकृत	Voted:	0.02	1.90	1.92
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत	Voted:	4.05	...	4.05
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)			
स्वीकृत	Voted:	589.48	1.90	591.38

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2851-ग्रामीण एवं लघु उद्योग	2851-Village and Small Industries			
स्वीकृत	Voted:	...	4.04 (का)	4.04
3602-संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को सहायता-अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments			
स्वीकृत	Voted:	0.01 (खब)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	Voted:	0.01	4.04

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए अपेक्षित है:

The supplementary grant is sought for the following purposes:

(क) दिनांक 1-4-2007 को राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि. के सम्बन्ध में आवश्यक लेखा समायोजन अर्थात् गारंटी शुल्क (4.04 करोड़) को माफ करने लिए। इसे प्राप्तियों द्वारा पूरा किया जाएगा, अतः नगद व्यय नहीं होगा।

(a) For carrying out necessary accounting adjustments viz. waiver of guarantee fee (Rs.4.04 crore) as on 1.4.2007 in respect of National Small Industries Corporation Ltd. This will be matched by receipts and hence will not entail cash outgo.

(ख) लघु उद्योगों की सांख्यिकी के संग्रहण के सम्बन्ध में संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान (0.70 करोड़) उपलब्ध कराने के लिए। चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की गयी है।

(b) For providing grants-in-aid (Rs.0.70 crore) to the Union Territory Governments for Collection of statistics of Small Scale Industries. As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 87

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 87 और वर्ष 2007-2008 की केन्द्रीय सरकार की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 39 देखिए)।

(See page 87 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008 and page 39 of First Supplementary Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत	Voted:	1934.15	125.00	2059.15	
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
स्वीकृत	Voted:	0.01	...	0.01	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत	Voted:	200.01	...	200.01	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	2134.17	125.00	2259.17	

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-Social Security and Welfare				
स्वीकृत	Voted:	0.01 (का)	...	0.01	
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments				
स्वीकृत	Voted:	200.00 (खब)	...	200.01	
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)				
स्वीकृत	Voted:	200.01	...	200.01	

ये पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैं:

(क) (i) राष्ट्रीय दृष्टि विकलांगता संस्थान (3.80 करोड़ रुपए); (ii) राष्ट्रीय अस्थि विकलांगता संस्थान (1.00 करोड़ रुपए); (iii) राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (2.00 करोड़ रुपए); (iv) शारीरिक विकलांगता संस्थान (1.48 करोड़ रुपए); (v) भारतीय पुनर्वास परिषद् (1.70 करोड़ रुपए); और (vi) दीन दयाल अपंग व्यक्ति पुनर्वास योजना (7.00 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत समतुल्य बचतें उपलब्ध हैं, अतः प्रत्येक मामले में सांकेतिक पूरक अनुदानों की मांग की गयी है।

(ख) मैट्रिक पश्च छात्रवृत्ति योजना (पीएमएस) के तहत प्रावधान की बढ़ोतरी के लिए (200.00 करोड़ रुपए)। इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary grants are required for the following purpose:

(a) For Grants-in-aid to (i) National Institute for Visually Handicapped (Rs. 3.80 crore); (ii) National Institute for Orthopaedically Handicapped (Rs.1.00 crore); (iii) National Institute for Rehabilitation, Training & Research (Rs.2.00 crore); (iv) Institute for the Physically Handicapped (Rs. 1.48 crore); (v) Rehabilitation Council of India (Rs.1.70 crore); and (vi) Deen Dayal Disabled Rehabilitation Scheme (Rs.7.00 crore). As matching savings are available within the same Section of the Grant, token supplementaries are sought in each case.

(b) For augmentation of provision under Post Matric Scholarship Scheme (PMS) (Rs.200.00 crore). This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO.90

इस्पात मंत्रालय
MINISTRY OF STEEL

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 90 देखिए)।

(See page 90 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008).

			(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत		Voted:	85.50	65.00	150.50
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	स्वीकृत	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	4.27	...	4.27
जोड़ (मूल और पूरक)	स्वीकृत	Total (Original plus Supplementary)			
	स्वीकृत	Voted:	89.77	65.00	154.77

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग				
मुख्य शीर्ष				
2852-उद्योग	स्वीकृत	Voted:	...	4.27
				4.27

यह पूरक अनुदान आवश्यक लेखा समायोजन करने जैसे कि मेकॉन लि. के संबंध में पेनल गारंटी शुल्क माफ करना के लिए मांगा गया है। इसकी पूर्ति प्रप्तियों द्वारा की जाएगी और इसलिए इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grant is sought for carrying out necessary accounting adjustment viz. waiver of penal guarantee fee in respect of MECON Ltd. This will be matched by receipts and hence will not entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 91

कपड़ा मंत्रालय
MINISTRY OF TEXTILES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 91 देखिए)।

(See page 91 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत	Voted:	2811.20	325.48	3136.68	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत	Voted:	1454.03	0.01	1454.04	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)				
स्वीकृत	Voted:	4265.23	325.49	4590.72	
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:					
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:					
		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2852-उद्योग	2852- Industries	Voted:	0.01 (का)	1454.02 (खब)	1454.03
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4860-उपभोक्ता उद्योगों पर	4860- Capital Outlay on				
पूंजी परिव्यय	Consumer Industries	Voted:	...	0.01 (गं)	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	Voted:	0.01	1454.03	1454.04

इस पूरक अनुदान की मांग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए की गयी हैं:

The supplementary grant is sought for the following purposes:-

(क) एकीकृत कपड़ा पार्कों से सम्बन्धित योजना (एसआईटीपी) के तहत एकीकृत कपड़ा पार्कों की स्थापना के लिए परियोजना प्रबन्ध परामर्श की परामर्शी सेवाओं पर होने वाले व्यय (15 करोड़ रुपए) की पूर्ति के लिए। चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की गयी है।

(a) towards meeting the expenditure on consultancy services of the Project Management Consultant (Rs. 15 crore) for establishment of Integrated Textiles Parks under the Scheme for Integrated Textiles Parks (SITP). As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

(ख) (i) आवश्यक लेखा समायोजनों के निष्पादन हेतु अर्थात् भारतीय राष्ट्रीय कपड़ा निगम लि. (एनटीसी) के अनुमोदित पुनर्संरचित योजना के भाग के रूप में दि. 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार ब्याज काफी (1454.01 करोड़ रुपए)। इसे प्राप्तियों द्वारा पूरा किया जाएगा, अतः कोई नकद व्यय नहीं होगा।

(b) (i) For carrying out necessary accounting adjustments viz. waiver of interest (Rs. 1454.01 crore) as on 31.3.2001 as part of approved restructuring plan of National Textile Corporation of India Ltd (NTC). This will be matched by receipts and hence will not entail cash outgo.

(ii) कपड़ा श्रम पुनर्वास योजना के तहत बंद पड़ी इकाइयों के कपड़ा कामगारों के दावों का निपटान करने पर होने वाले अतिरिक्त व्यय (24.84 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु और सूरत में बाढ़ से प्रभावित कपड़ा उद्योगों को राहत और पैकेज सम्बन्धी व्यय (3.31 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु। चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की गयी है।

(ii) for meeting the additional expenditure on settling the claims of textile workers of the closed units (Rs. 24.84 crore) under Textile Labour Rehabilitation Scheme and meeting the expenditure on relief and package to the flood affected textiles industries in Surat (Rs. 3.31 crore). As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

(ग) आवश्यक लेखा समायोजनों के निष्पादन हेतु अर्थात् अनुमोदित पुनर्संरचना योजना के भाग के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कपड़ा निगम लि. के सम्बन्ध में दिनांक 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार बकाया ऋण (2542.79 करोड़ रुपए) को इक्विटी में बदलने के लिए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की गयी है।

(c) A token supplementary is sought for carrying out necessary accounting adjustments viz. conversion of outstanding loan (Rs. 2542.79 crore) as on 31.3.2001 into equity in respect of National Textile Corporation of India Ltd. as part of approved restructuring plan.

मांग संख्या DEMAND NO. 93

जनजातीय कार्य मंत्रालय
MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 93 और वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 40 देखिए)।
 (See page 93 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008 and page 40 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2007-2008).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
भारित	Charged:	1489.29	...	1489.29	
स्वीकृत	Voted:	207.73	35.02	242.75	
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
स्वीकृत	Voted:	0.01	...	0.01	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
भारित	Charged:	18.42	...	18.42	
स्वीकृत	Voted:	0.01	...	0.01	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1715.46	35.02	1750.48	
भारित	Charged:	1507.71	...	1507.71	
स्वीकृत	Voted:	207.75	35.02	242.77	

II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	2225-Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward classes				
	स्वीकृत	Voted:	0.01 (का)	...	0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments				
	भारित	Charged:	18.42 (खb)	...	18.42
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	18.43	...	18.43	
	भारित	Charged:	18.42	...	18.42
	स्वीकृत	Voted:	0.01	...	0.01

इस पूरक अनुदान/विनियोग की आवश्यकता निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु है :

- (क) अनुसूचित जनजातियों के हित के लिए विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं के लिए सहायता अनुदान (0.04 करोड़ रुपए) और गणतन्त्र दिवस समारोहों के प्रचार पर हुए व्यय की पूर्ति करने और वन अधिकार नियमों आदि के लिए सहायता अनुदान (0.26 करोड़)। चूंकि, अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की गयी है।
- (ख) आदिम जनजातीय समूहों के विकास संबंधी योजना के तहत राज्य सरकारों को सहायता अनुदान (18.42 करोड़)। चूंकि अनुदान के राजस्व स्वीकृत भाग से समतुल्य राशि अभ्यर्पित की जाएगी, अतः इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grant/appropriation are sought for the following purposes:

- (a) Grants-in-aid for various research projects for the benefit of Scheduled Tribes (Rs.0.04 crore) and for meeting expenditure on publicity for Republic Day celebrations, Forest Rights rules, etc., (Rs.0.26 crore). As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Grants-in-aid to State Governments under the scheme of Development of Primitive Tribal Groups (Rs.18.42 crore). As an equivalent amount will be surrendered from the Revenue Voted section of the Grant, this will not entail any cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 99

शहरी विकास विभाग
DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-08 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ-121 तथा वर्ष 2007-08 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 41 देखिए)।
(See page 121 - of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-08 and page 41 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2007-08).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:	25.72	23.70	49.42
	स्वीकृत	Voted:	1000.62	1670.00	2670.62
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत	Voted:	...	50.00	50.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	भारित	Charged:	...	16.50	16.50
	स्वीकृत	Voted:	...	142.02	142.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1026.34	1902.22	2928.56	
	भारित	Charged:	25.72	40.20	65.92
	स्वीकृत	Voted:	1000.62	1862.02	2862.64

II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:
II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4216-आवास निर्माण पर पूंजी परिव्यय	भारित	4216- Capital Outlay on Housing	Charged:	...	16.50 (का)
	स्वीकृत		Voted:	0.01 (खb)	0.01 (गc)
4217-शहरी विकास पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	4217- Capital Outlay on Urban Development	Voted:	100.00 (घd)	...
6217-शहरी विकास के लिए ऋण	स्वीकृत	6217- Loans for Urban Development	Voted:	42.00 (ङे)	...
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)		142.01	16.51
	भारित		Charged:	...	16.50
	स्वीकृत		Voted:	142.01	0.01

इन पूरक अनुदानों/विनियोग की मांग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए की गयी है:

The supplementary grants/appropriation are sought for the following purposes:

- | | |
|---|--|
| <p>(क) राष्ट्रपति भवन में जीर्णोद्धार तथा मरम्मत कार्य और आडीटोरियम कार्य के सम्बन्ध में लम्बित बिलों का निपटान। इसमें नकद व्यय होगा।</p> <p>(ख) सुनहरी बाग, नई दिल्ली में पुनर्विकास कार्य (40.00 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।</p> <p>(ग) आयकर विभाग के लिए जम्मू में भूमि की खरीद के लिए। (62.30 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के इसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की गयी है।</p> <p>(घ) वर्ष 2007-08 के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड में इक्विटी पूंजी के भारत सरकार के हिस्से हेतु। इसमें नकद व्यय होगा।</p> <p>(ङ) दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि. के लिए भूमि के अधिग्रहण हेतु गौण कर्ज के रूप में ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु। इसमें नकद व्यय होगा।</p> | <p>(a) For renovation and repair works in the Rashtrapati Bhawan and clearance of pending bills in respect of auditorium work. This will entail cash outgo.</p> <p>(b) For re-development work at Sunehari Bagh, New Delhi (Rs. 40.00 crore). As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p> <p>(c) For purchase of land in Jammu for Income Tax Department (Rs. 62.30 crore). As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p> <p>(d) For Government of India's share of Equity Capital in Delhi Metro Rail Corporation Ltd. for the year 2007-08. This will entail cash outgo.</p> <p>(e) For providing interest free loan as subordinate debt for acquisition of land to Delhi Metro Rail Corporation Ltd. This will entail cash outgo.</p> |
|---|--|

मांग संख्या DEMAND NO. 100

लोक निर्माण कार्य
PUBLIC WORKS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 122 और वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 42 देखिए)।

(See page 122 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008 and page 42 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारति	Charged:	1.00	1.00	2.00
	स्वीकृत	Voted:	793.72	358.02	1151.74
पूरक अनुदान :	SUPPLEMENTARY GRANT :				
	स्वीकृत	Voted:	...	18.10	18.10
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत	Voted:	...	45.00	45.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		794.72	422.12	1216.84
	भारति	Charged:	1.00	1.00	2.00
	स्वीकृत	Voted:	793.72	421.12	1214.84

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4059-लोक निर्माण कार्यों पर	4059-Capital Outlay on				
पूंजी परिव्यय	Public Works	Voted:	...	45.00	45.00

इस पूरक अनुदान की मांग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए की गयी है :-

- (क) देश में विभिन्न स्थानों पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय भवनों का निर्माण (30.00 करोड़ रुपए)। अनुदान के राजस्व/स्वीकृत भाग से समतुल्य राशि अभ्यर्पित की जाएगी।
- (ख) देश में विभिन्न स्थानों पर कार्यालय भवन/संकाय हॉस्टल/कार्गो परिसर के निर्माण और केन्द्रीय उत्पाद और सीमाशुल्क बोर्ड/केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के लिए जमीन की खरीद करने के लिए (40.00 करोड़ रुपए)। इसमें से 15.00 करोड़ रुपए की राशि अनुदान के राजस्व/स्वीकृत भाग से अभ्यर्पित की जाएगी। शेष राशि की पूर्ति अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत उपलब्ध बचतों से की जाएगी।

इन पूरक अनुदानों के कारण कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grant is sought for the following purposes:

- (a) Construction of office buildings of Comptroller and Auditor General of India at various places in the country (Rs. 30.00 crore). An equivalent amount will be surrendered from the Revenue/Voted section of the Grant.
- (b) Construction of office buildings/faculty hostel/cargo complex and for purchase of land for Central Board of Excise and Customs/Central Board of Direct Taxes at various places of the country (Rs. 40.00 crore). Of this Rs. 15.00 crore will be surrendered from the Revenue/Voted section of the Grant. Balance amount will be met from the savings available within the same section of the grant.

There will be no cash outgo on account of these supplementaries.

मांग संख्या DEMAND NO.102

जल संसाधन मंत्रालय
MINISTRY OF WATER RESOURCES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 124 देखिए)।

(See page 124 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
भारित	Charged:	...	4.00	4.00
स्वीकृत	Voted:	853.01	41.15	894.16
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	853.02	45.15	898.17
भारित	Charged:	...	4.00	4.00
स्वीकृत	Voted:	853.02	41.15	894.17

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments			
स्वीकृत	Voted:	0.01	...	0.01

इस पूरक अनुदान की मांग “नदी प्रबंधन गतिविधियों और सीमा क्षेत्रों से सम्बद्ध निर्माण कार्यों” की योजना के तहत राज्य सरकारों को सहायता अनुदान (10.00 करोड़ रुपए) प्रदान करने के लिए की गयी है। चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

The supplementary grant is sought for providing Grants-in-aid to State Governments under the scheme “River Management Activities and Works related to Border Areas” (Rs.10.00 crore). As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुबंध ANNEXURE

वर्ष 2006-07 के दौरान संसद में प्रस्तुत की जाने वाली उन मदों का विवरण जिनमें पुनर्विनियोग मूल बजट प्रावधान के 25 प्रतिशत अथवा 1 करोड़ रुपए, जो भी अधिक हो, से बढ़ जाता है।

Statement showing items requiring report to Parliament where re-appropriation exceed 25% of the original Budget provision or Rs. 1 crore, whichever is more during 2006-07.

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

क्र. सं. Sl. No.	मंत्रालय/विभाग का नाम Name of the Ministry/ Department	योजना Scheme	बजट अनुमान 2006-2007 Budget Estimates 2006-2007	पुनर्विनियोग की राशि Amount of Re-appropriation	टिप्पणियां Remarks
1	2	3	4	5	6
1.	खान मंत्रालय	I. भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण राजस्व भाग (क) निदेशन एवं प्रशासन प्रशासनिक सहायता			पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के हित के लिए हुए व्यय की पूर्ति करने के लिए और आधुनिकीकरण के तहत खरीदी गई नई मशीनों पर बिजली की बढ़ी हुई खपत और पीओएल के मूल्यों में वृद्धि के कारण।
	Ministry of Mines	I. Geological Survey of India Revenue Section A. Direction & Administration Administrative Support	24.70	12.70	To meet the expenditure for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and due to increased consumption of electricity on newly acquired machineries under modernisation & hike in POL
		(ख) अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला अनुसंधान			पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के हित के लिए हुए व्यय की पूर्ति करने के लिए और रासायनिक अभिकर्मकों तथा अन्य प्रयोगशाला उपकरणों के मूल्य में वृद्धि के कारण।
		B. Research & Development Laboratory Research	3.71	0.76	To meet the expenditure for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and due to price hike of chemical reagents and other laboratory accessories.
		(ग) सर्वेक्षण और मानचित्रण भूतल, हवाई और समुद्री सर्वेक्षण			पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के हित के लिए हुए व्यय की पूर्ति करने के लिए और समुद्री विंग के जलयानों के रख-रखाव के लिए दो तिमाही किश्तों को समायोजित करने के कारण।
		C. Survey & Mapping Ground, Aerial & Marine Survey	20.09	6.01	To meet the expenditure for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and due to accommodating two of the quarterly instalments towards maintenance of vessels of marine wings.
		(घ) खनिज अन्वेषण आर्थिक खनिज			पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के हित के लिए किए गए और फील्ड में दक्ष व्यक्तियों को किराए पर लेने तथा और अन्वेषण संबंधी अधिक कार्यक्रम व्यय की पूर्ति करने के लिए तथा पीओएल में वृद्धि के कारण।

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
		D. Mineral Exploration Economic Minerals	10.90	3.25	To meet the expenditure for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and hiring of skilled persons in the filed and more exploration programme and hike in POL.
		(ड) अन्य व्यय भिन्न-भिन्न प्रचालनों पर विविध मुख्य व्यय			पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के हित के लिए किए गए व्यय की पूर्ति करने के लिए और विदेशी पत्रिका की खरीद करने और मूल्यों में वृद्धि होने तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा रख-रखाव के अधिक कार्य के कारण।
		E. Other Expenditure Miscellaneous Major Expenditure on different operations	8.65	1.38	To meet the expenditure for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and due to purchase of foreign journal and hike in price and more maintaince work by CPWD.
		पूँजी भाग अन्य व्यय Capital Section Other Expenditure	0.01	0.99	पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के हित के लिए किए गए व्यय की पूर्ति के लिए। To meet the expenditure for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.
		II. भारतीय खान ब्यूरो राजस्व भाग (क) स्थापना			पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के हित के लिए किए गए व्यय की पूर्ति करने के लिए।
		II. Indian Bureau of Mines Revenue Section A. Establishment	11.82	0.27	To meet the expenditure for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.
		(ख) प्रशिक्षण B. Training	0.23	0.12	पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के हित के लिए किए गए व्यय की पूर्ति के लिए। To meet the expenditure for the benefit of North Eastern Region and Sikkim
		पूँजी भाग अन्य व्यय Capital Section Other Expenditure	0.01	1.10	पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के हित के लिए किए गए व्यय की पूर्ति के लिए। To meet the expenditure for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.
		III. भारतीय खान ब्यूरो राजस्व भाग (क) खानों का विनियमन एवं विकास चिकित्सीय उपचार			अतरंग चिकित्सीय उपचार में वृद्धि के अलावा कुछ पुराने बड़े रोगों का इलाज करने के कारण।
		III. Indian Bureau of Mines Revenue Section A. Regulation and Development of Mines Medical Treatment	0.45	0.35	Due to certain major chronic disease treatments apart from increased indoor medical treatment.

